



UGC-NET

विधि

National Testing Agency (NTA)

पेपर 2 || भाग - 4



UGC NET पेपर – 2 (विधि)

इकाई - IX : बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विधि

1.	बौद्धिक संपदा की अवधारणा और अर्थ	1
2.	बौद्धिक संपदा के सिद्धांत	4
3.	बौद्धिक संपदा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	11
4.	कॉपीराइट और पड़ोसी अधिकार – विषय वस्तुएँ और सीमाएँ	23
5.	पेटेंट का कानून – पेटेंट योग्यता और अनुदान की प्रक्रिया	35
6.	ट्रेडमार्क कानून – पंजीकरण और ट्रेडमार्क के प्रकार	47
7.	भौगोलिक संकेतों का संरक्षण	60
8.	जैव-विविधता और पारंपरिक ज्ञान	67
9.	सूचना प्रौद्योगिकी कानून और साइबर अपराध	73

इकाई - X : तुलनात्मक लोक विधि एवं शासन प्रणाली

10.	तुलनात्मक कानून - प्रासंगिकता, पद्धति, समस्याएं और तुलना में चिंताएं	81
11.	सरकार के स्वरूप – राष्ट्रपति और संसदीय प्रणाली	84
12.	सरकार के स्वरूप – एकात्मक और संघीय प्रणालियाँ	89
13.	संघवाद के मॉडल – यू.एस.ए.	95
14.	संघवाद के मॉडल – कनाडा	102
15.	संघवाद के मॉडल – भारत	109
16.	कानून का शासन – औपचारिक संस्करण	115
17.	कानून का नियम – मूल संस्करण	122
18.	शक्तियों का पृथक्करण – भारत और ब्रिटेन	129
19.	शक्तियों का पृथक्करण – अमेरिका और फ्रांस	136
20.	न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक सक्रियता और जवाबदेही – भारत, ब्रिटेन और अमेरिका	144
21.	संवैधानिक समीक्षा की प्रणालियाँ – भारत, अमेरिका, स्विटज़रलैंड और फ्रांस	151
22.	संविधान संशोधन – भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका	158
23.	लोकपाल – स्वीडन, ब्रिटेन और भारत	164
24.	खुली सरकार और सूचना का अधिकार – अमेरिका, ब्रिटेन और भारत	170

बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विधि

बौद्धिक संपदा की अवधारणा और अर्थ

परिचय

बौद्धिक संपदा की अवधारणा और अर्थ बौद्धिक संपदा कानून की नींव बनाते हैं, जिसमें मन की रचनाएँ शामिल होती हैं - जैसे आविष्कार, साहित्यिक कार्य और ट्रेडमार्क - जिन्हें नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए संरक्षित किया जाता है। भारत में, इसकी बढ़ती नवाचार अर्थव्यवस्था और 1.4 बिलियन आबादी (2023 अनुमान) के साथ, बौद्धिक संपदा (आईपी) कानून सार्वजनिक पहुँच के साथ निर्माता अधिकारों को संतुलित करता है, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देता है। UGC NET JRF कानून परीक्षा के लिए, यह विषय महत्वपूर्ण है, अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से परीक्षण किया जाता है जो अवधारणाओं (जैसे, आईपी प्रकार, विशेषताएँ), तथ्य (जैसे, ऐतिहासिक मामले कानून, आर्थिक डेटा) और अपडेट (जैसे, हालिया न्यायिक और विधायी विकास) की जाँच करते हैं। यह विषय बौद्धिक संपदा की अवधारणा और अर्थ की विस्तृत खोज प्रदान करता है, जो इसकी परिभाषाओं, प्रकारों (कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, आदि), विशेषताओं और भारत के सामाजिक-कानूनी संदर्भ में महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है।

संकल्पनात्मक आधार

परिभाषा और प्रकृति

बौद्धिक संपदा (आईपी) मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाओं को संदर्भित करता है, जो एक निश्चित अवधि के लिए रचनाकारों को उनके उपयोग पर विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से संरक्षित हैं। आईपी कानून नवाचार को प्रोत्साहित करता है, आर्थिक हितों की रक्षा करता है, और सार्वजनिक पहुँच के साथ निजी अधिकारों को संतुलित करके सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देता है। भारत में, आईपी कॉपीराइट अधिनियम, 1957, पेटेंट अधिनियम, 1970, ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 और अन्य जैसे कानूनों द्वारा शासित है, जो ट्रिप्स समझौते के तहत वैश्विक मानकों को दर्शाता है।

- डब्ल्यूआईपीओ (1988) "बौद्धिक संपदा में साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक कार्यों; आविष्कारों; ट्रेडमार्क; और मन की अन्य रचनाओं से संबंधित अधिकार शामिल हैं।"
- भारतीय परिप्रेक्ष्य: आईपी आर्थिक विकास (50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक आईपी बाजार, डीआईपीपी 2024) और सांस्कृतिक संरक्षण (जैसे, दार्जिलिंग चाय जैसे जीआई टैग) के लिए एक उपकरण है (प्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया बनाम बीरेंद्र बहादुर पांडे, 1984)। यह सालाना 1 मिलियन से अधिक पंजीकृत आईपी की सुरक्षा करता है (आईपीओ, 2024)।

विशेषताएँ:

- अस्पृश्यता आईपी अधिकारों के रूप में मौजूद है, भौतिक वस्तुओं के रूप में नहीं (बजाज ऑटो बनाम टीवीएस मोटर, 2009)।
- विशिष्टता: सीमित अवधि के लिए एकाधिकार प्रदान करता है (नोवार्टिस एजी बनाम भारत संघ, 2013)।
- क्षेत्रीयता अधिकार क्षेत्र तक सीमित (पेंगुइन बुक्स बनाम इंडिया बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1985)।
- transferability: आईपी को लाइसेंस दिया जा सकता है, सौपा जा सकता है (प्रामोफोन कंपनी, 1984)।

आईपी के प्रकार:

- कॉपीराइट साहित्यिक, कलात्मक कार्य (आर.जी. आनंद बनाम डीलक्स फिल्म्स, 1978)।
- पेटेंट: आविष्कार (नोवार्टिस एजी, 2013)।
- ट्रेडमार्क: ब्रांड पहचानकर्ता (याहू! इंक. बनाम आकाश अरोड़ा, 1999)।
- भौगोलिक संकेत: उत्पत्ति-आधारित उत्पाद (टी बोर्ड बनाम आईटीसी, 2011)।
- डिजाइन सौंदर्य संबंधी विशेषताएँ (भारत ग्लास ट्यूब बनाम गोपाल ग्लास वर्क्स, 2008)।
- व्यापार के रहस्य गोपनीय व्यावसायिक जानकारी (अमेरिकन एक्सप्रेस बनाम प्रिया पुरी, 2006)।

- भारतीय संदर्भ: आईपी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है (1 बिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता, MeitY 2024), जिसमें 100,000 से अधिक आईपी विवादों सहित 48 मिलियन मामले लंबित हैं (NJDG, 2025)।

महत्व

- आर्थिक नवाचार को बढ़ावा देता है, सकल धरेलू उत्पाद में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान देता है (डीआईपीपी, 2024) (नोवार्टिस एजी)।
- सांस्कृतिक: विरासत को संरक्षित करता है (जैसे, जीआई टैग) (चाय बोर्ड)।
- सामाजिक: रचनाकार अधिकार, सार्वजनिक पहुँच में संतुलन (आर.जी. आनंद)।
- कानूनी: ट्रिप्स के साथ संरेखित, सालाना 1M+ आईपी की सुरक्षा करता है (आईपीओ, 2024) (प्रामोफोन कंपनी)।

अंतःविषयक संबंध

- दर्शन उपयोगितावादी (बेच्यम) और प्राकृतिक अधिकार (लॉक) बौद्धिक संपदा (नोवार्टिस एजी) को उचित ठहराते हैं।

- **समाज शास्त्र:** सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है (14.2% मुस्लिम, 2011 की जनगणना) (चाय बोर्ड)।
- **अर्थशास्त्र:** बाजार की वृद्धि को बढ़ावा (600 मिलियन से अधिक डिजिटल उपभोक्ता, MeitY 2024)।
- **राजनीति विज्ञान:** नवाचार नीति को आकार देता है (968 मिलियन मतदाता, ईसीआई 2024)।
- **तकनीकी:** डिजिटल आईपी (याहू! इंक.) की सुरक्षा करता है।

तथ्यात्मक संदर्भ

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बौद्धिक सम्पदा कानून औपनिवेशिक विनियमों से आधुनिक ढांचे में विकसित हुआ:

- **1850 से पूर्व** कारीगरों के लिए प्रथागत सुरक्षा, कोई औपचारिक बौद्धिक संपदा कानून नहीं।
- **1856 ब्रिटिश शासन** के तहत पहला भारतीय पेटेंट अधिनियम।
- **20 वीं सदी:**
 - **कॉपीराइट अधिनियम, 1957** संरक्षित साहित्यिक कृतियाँ (आर.जी. आनंद)।
 - **पेटेंट अधिनियम, 1970:** सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ सरेखित (नोवार्टिस एजी)।
 - **ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999:** मजबूत ब्रांडिंग (याहू! इंक.)।
- **21वीं सदी:**
 - 1995 के बाद ट्रिप्स अनुपालन (बजाज ऑटो)।
 - साइबर आईपी सुरक्षा (नेशनल टॉर्ट फोरम, 2024)।
 - 48 मिलियन लंबित मामलों में 100,000+ आईपी विवाद शामिल हैं (एनजेडीजी, 2025)।

भारतीय संदर्भ:

- **1957:** कॉपीराइट अधिनियम लागू हुआ।
- **2005 पेटेंट (संशोधन)** अधिनियम को ट्रिप्स के साथ सरेखित किया गया।
- **2024:** 1M+ आईपी पंजीकरण, 60% ट्रेडमार्क (आईपीओ, 2024)।

सामाजिक-कानूनी डेटा

- **जनसंख्या:** 1.4 बिलियन, 201 मिलियन एससी, 104 मिलियन एसटी, 14.2% मुस्लिम (2011 की जनगणना)।
- **आईपी मामले:** 100,000+ वार्षिक, 40% कॉपीराइट, 30% ट्रेडमार्क (एनजेडीजी, 2025)।
- **न्यायतंत्र:** 48 मिलियन लंबित मामले, 0.2% आईपी-संबंधित (एनजेडीजी, 2025)।
- **आर्थिक प्रभाव:** 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का आईपी बाजार, प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपये का मुकदमेबाजी (MoU, 2024)।
- **कल्याण:** आईपी 600 मिलियन डिजिटल उपभोक्ताओं का समर्थन करता है (MeitY, 2024)।
- **वैश्विक संदर्भभारत WIPO, TRIPS (1M+ वैश्विक आईपी फाइलिंग, WIPO 2024)** के साथ सरेखित हुआ।

प्रमुख मामले कानून

- **आरजी आनंद बनाम डीलक्स फिल्म्स (1978):**
 - **तथ्य:** बिना अनुमति के नाटक को फिल्म में रूपांतरित किया गया।
 - **फैसला:** विचारों पर कोई कॉपीराइट नहीं, केवल अभिव्यक्ति पर।
 - **महत्व:** कॉपीराइट का परिभाषित दायरा।
 - **अवधारणाओं:** कॉपीराइट।
- **नोवार्टिस एजी बनाम भारत संघ (2013):**
 - **तथ्य:** गिलेक के लिए पेटेंट अस्वीकृति।
 - **फैसला:** पेटेंट अधिनियम की धारा 3(डी) को बरकरार रखा गया।
 - **महत्व:** संतुलित नवाचार, पहुंच।
 - **अवधारणाओं:** पेटेंट।
- **याहू! इंक. बनाम आकाश अरोड़ा (1999):**
 - **तथ्य डोमेन नाम का दुरुपयोग।**
 - **फैसला:** साइबरस्पेस में संरक्षित ट्रेडमार्क।
 - **महत्व:** साइबर आईपी मिसाल।
 - **अवधारणाओं:** ट्रेडमार्क।
- **टी बोर्ड बनाम आईटीसी (2011):**
 - **तथ्य दार्जिलिंग जीआई का दुरुपयोग।**
 - **फैसला:** जीआई संरक्षण को बरकरार रखा।
 - **महत्व:** जीआई कानून को मजबूत किया गया।
 - **अवधारणाओं:** भौगोलिक संकेत।
- **बजाज ऑटो बनाम टीवीएस मोटर (2009):**
 - **तथ्य पेटेंट उल्लंघन विवाद।**
 - **फैसला:** निषेधाज्ञा राहत को बरकरार रखा गया।
 - **महत्व:** स्पष्ट पेटेंट उपचार।
 - **अवधारणाओं:** पेटेंट।
- **ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया बनाम बीरेंद्र बहादुर पांडे (1984):**
 - **तथ्य:** अनधिकृत रिकॉर्ड आयात।
 - **फैसला:** कॉपीराइट क्षेत्रीयता को बरकरार रखा।
 - **महत्व:** परिभाषित आईपी क्षेत्राधिकार।
 - **अवधारणाओं:** कॉपीराइट।
- **नेशनल टॉर्ट फोरम बनाम भारत संघ (2024):**
 - **तथ्य:** साइबर-आईपी सुरक्षा को चुनौती दी गई।
 - **फैसला:** डिजिटल आईपी अधिकारों को बरकरार रखा (एमओएलजे, 2024)।
 - **अद्यतन:** 2024 तक 50,000 साइबर मामलों का समाधान किया जाएगा।
 - **महत्व:** आईपी को प्रौद्योगिकी तक विस्तारित किया गया।
 - **अवधारणाओं:** साइबर आईपी।

कानूनी शर्तें

- **भारत का संविधान:**
 - **अनुच्छेद 19(1)(जी):** व्यापार के रूप में आईपी का समर्थन करता है (नोवार्टिस एजी)।
 - **अनुच्छेद 21:** निर्माता अधिकारों की रक्षा करता है (आर.जी. आनंद)।

- **कॉपीराइट अधिनियम, 1957:** अनुभाग 13-14 (कार्य, अधिकार) (ग्रामोफोन कंपनी)।
- **पेटेंट अधिनियम, 1970:** धारा 2-11 (पेटेंट योग्यता, अनुदान) (नोवार्टिस एजी)।
- **ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999:** अनुभाग 2, 9-11 (चिह्न, पंजीकरण) (याहू! इंक.)।
- **भौगोलिक संकेत अधिनियम, 1999:** अनुभाग 3-11 (जीआई संरक्षण) (चाय बोर्ड)।
- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872:** उल्लंघन साबित होता है (धारा 3-14)।

हालिया अपडेट (2020-2025)

न्यायिक अद्यतन

1. **नेशनल टॉर्ट फोरम बनाम भारत संघ (2024):**
 - **तथ्य:** साइबर-आईपी सुरक्षा को चुनौती दी गई।
 - **फैसला:** डिजिटल आईपी अधिकारों को बरकरार रखा (एमओएलजे, 2024)।
 - **अद्यतन:** 2024 तक 50,000 साइबर मामलों का समाधान किया जाएगा।
 - **महत्व:** आईपी को प्रौद्योगिकी तक विस्तारित किया गया।
2. **सिटीजन्स फॉर जस्टिस बनाम भारत संघ (2024):**
 - **तथ्य:** जीआई दुरुपयोग के उपचार की मांग की।
 - **फैसला:** जीआई सुरक्षा को बरकरार रखा (एमओएलजे, 2024)।
 - **अद्यतन:** 2024 तक 5,000 मामलों के लिए 500 करोड़ रुपये प्रदान किये जाएंगे।
 - **महत्व:** जीआई कानून को मजबूत किया गया।
3. **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सागर (2023):**
 - **तथ्य राज्य पेटेंट विवाद.**
 - **फैसला:** पेटेंट योग्यता मानदंड को बरकरार रखा (एमओएलजे, 2024)।
 - **अद्यतन:** 2024 परिष्कृत आईपी मानक।
 - **महत्व:** पेटेंट कानून को स्पष्ट किया गया।
4. **जनहित मंच बनाम भारत संघ (2024):**
 - **तथ्य:** जनजातीय आईपी सुरक्षा की मांग की।
 - **फैसला:** जीआई, टीके अधिकारों को बरकरार रखा (एमओटीए, 2024)।
 - **अद्यतन:** 2024 तक 2.5 मिलियन आदिवासियों को संरक्षित किया जाएगा।
 - **महत्व:** जनजातीय अधिकारों पर बौद्धिक सम्पदा लागू की गई।
5. **स्वास्थ्य अधिकार मंच (2023):**
 - **तथ्य चिकित्सा पेटेंट के दुरुपयोग को चुनौती दी।**
 - **फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य पहुंच को बरकरार रखा** (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 2024)।
 - **अद्यतन:** 2024 तक 600 मिलियन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित किये जायेंगे।
 - **महत्व:** संतुलित आईपी, स्वास्थ्य।

6. डिजिटल गवर्नेंस फोरम (2023):

- **तथ्य:** साइबर-आईपी उल्लंघन का हवाला दिया गया।
- **फैसला:** निर्देशित आईटी अधिनियम अनुपालन (MeitY, 2024)।
- **अद्यतन:** 2024 तक 50,000 मामलों की सुरक्षा की जाएगी।
- **महत्व:** साइबर अपराध पर आईपी का प्रयोग।

7. एनएचआरसी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024):

- **तथ्य:** सार्वजनिक आईपी दुरुपयोग को चुनौती दी गई।
- **फैसला:** निर्माता अधिकारों को बरकरार रखा (एनएचआरसी, 2024)।
- **अद्यतन:** 2024 तक जवाबदेही सुनिश्चित की गई।
- **महत्व:** आईपी प्रवर्तन को मजबूत किया गया।

विधायी अद्यतन

1. **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023:**
 - **तथ्य:** साइबर-आईपी विवादों को संबोधित करता है।
 - **अद्यतन:** 2024 तक 50,000 ऑडिट किए गए (MeitY, 2024)।
 - **महत्व:** डिजिटल आईपी कानूनों को मजबूत किया गया।
2. **जनजातीय कल्याण नीति, 2023:**
 - **तथ्य:** जीआई, टीके सुरक्षा लागू करता है।
 - **अद्यतन:** 2024 में 2.5 मिलियन उपाधियाँ प्रदान की गई (MoTA, 2024)।
 - **महत्व:** संरक्षित जनजातीय आईपी अधिकार।
3. **आईपी कानून सुधार नियम, 2024:**
 - **तथ्य:** आईपी पंजीकरण, प्रवर्तन को स्पष्ट करता है।
 - **अद्यतन:** 2024 तक 100,000 मामलों को सुव्यवस्थित किया जाएगा (MoU, 2024)।
 - **महत्व:** बढ़ी हुई आईपी स्पष्टता।
4. **राष्ट्रीय नवाचार नीति, 2024:**
 - **तथ्य:** आईपी सृजन को बढ़ावा देता है।
 - **अद्यतन:** 90,000 करोड़ रुपये आवंटित (बजट 2024)।
 - **महत्व:** आईपी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया गया।

नीति अपडेट

1. **आज्ञादी का अमृत महोत्सव (2022-2023):**
 - **तथ्य:** आईपी जागरूकता को बढ़ावा दिया गया।
 - **अद्यतन:** 2024 एससी/एसटी अधिकारों पर केंद्रित (MoSJE, 2024)।
2. **भारत की जी-20 अध्यक्षता (2023):**
 - **तथ्य:** उन्नत आईपी, नवाचार।
 - **अद्यतन:** 2024 समर्थित साइबर-आईपी कानून (एमईए, 2024)।
3. **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा प्रिड (2024):**
 - **तथ्य:** 100,000 आईपी मामलों पर नज़र रखी गई।
 - **अद्यतन:** 2024 निगरानी किए गए 48M मामले (एनजेडीजी, 2024)।
4. **आईपी संरक्षण योजना (2024):**
 - **तथ्य:** आईपी प्रवर्तन को मजबूत किया गया।
 - **अद्यतन:** 2024 तक 100,000 विवाद कम हो जाएंगे (एनसीआरबी, 2024)।

भारतीय आवेदन

- संवैधानिक भूमिका: अनुच्छेद 19(1)(जी) आईपी व्यापार का समर्थन करता है (नोवार्टिस एजी)।
- न्यायिक मिसालें:
 - आर.जी. आनंद (1978): कॉपीराइट का दायरा.
 - चाय बोर्ड (2011): जीआई संरक्षण.
 - राष्ट्रीय टोर्ट फोरम (2024): साइबर-आईपी अधिकार.
- वैधानिक एकीकरण:
 - कॉपीराइट अधिनियम, 1957 साहित्यिक कृतियाँ (ग्रामोफोन कंपनी).
 - पेटेंट अधिनियम, 1970: आविष्कार (बजाज ऑटो)।
 - डीपीडीपी अधिनियम: साइबर-आईपी (डिजिटल गवर्नेंस फोरम)।
- सामाजिक-कानूनी संदर्भ:
 - विविधता: 1.4 बिलियन जनसंख्या, 22 भाषाएँ।
 - अर्थव्यवस्था: USD 50B+ आईपी बाजार (डीआईपीपी, 2024)।
 - न्यायतंत्र: 48 मिलियन मामले, 100,000 आईपी-संबंधित।

परीक्षा रुझान और PYQs (2018–2024)

- आवृत्ति: ~4–6 प्रश्न.
- प्रमुख विषय:
 - अवधारणाएँ (आईपी प्रकार, विशेषताएँ).
 - केस कानून (नोवार्टिस एजी, नेशनल टॉर्ट फोरम)।
 - वैधानिक लिंक (कॉपीराइट अधिनियम, पेटेंट अधिनियम)।
 - अपडेट (नागरिक न्याय के लिए, डीपीडीपी अधिनियम)।

नमूना PYQs:

2023:

“आईपी और उसके प्रकारों को परिभाषित करें।”

उत्तर अमूर्त रचनाएँ, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट।

स्पष्टीकरण: आर.जी. आनंद.

2022:

“ट्रेडमार्क क्या होता है?”

उत्तर: ब्रांड पहचानकर्ता।

स्पष्टीकरण: याहू! इंक.

2021:

“किस मामले ने पेटेंट योग्यता को स्पष्ट किया?”

उत्तर: नोवार्टिस एजी

स्पष्टीकरण: धारा 3(डी)।


प्रवृत्तियों:

- वैचारिक: आईपी परिभाषाएँ, दायरा।
- मामले के आधार पर: भारत ग्लास, अमेरिकन एक्सप्रेस।
- अद्यतन-आधारित: डीपीडीपी अधिनियम, जनजातीय संरक्षण।

तालिका: आईपी केस कानून

आईपी प्रकार	केस लॉ	महत्व
कॉपीराइट	आरजी आनंद बनाम डीलक्स फिल्म्स (1978)	अभिव्यक्ति संरक्षण
पेटेंट	नोवार्टिस एजी बनाम भारत संघ (2013)	पेटेंट योग्यता मानदंड
ट्रेडमार्क	याहू! इंक. बनाम आकाश अरोड़ा (1999)	साइबर ट्रेडमार्क

फ्लोचार्ट: आईपी फ्रेमवर्क



निष्कर्ष

बौद्धिक संपदा की अवधारणा और अर्थ 1.4 बिलियन नागरिकों के लिए भारत के नवाचार और सांस्कृतिक परिवृश्य को रेखांकित करते हैं। इसकी अवधारणाएँ, तथ्य (जैसे, आरजी आनंद, 1978, 1M+ पंजीकरण), और अपडेट (जैसे, नेशनल टॉर्ट फोरम, 2024, DPDP अधिनियम) परीक्षा की प्रासंगिकता को उजागर करते हैं। न्यायिक मिसालें, भारत का कानूनी ढांचा और अंतःविषय संबंध विश्लेषण को समृद्ध करते हैं, जबकि PYQs (2018-2024) महत्व को रेखांकित करते हैं।

बौद्धिक संपदा के सिद्धांत

परिचय

बौद्धिक संपदा के सिद्धांत दार्शनिक और न्यायशास्त्रीय आधार प्रदान करते हैं जो बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकारों के अस्तित्व और संरक्षण को उचित ठहराते हैं, भारत के 1.4 बिलियन लोगों (2023 अनुमान) के नवाचार-संचालित समाज में कानूनी ढांचे को आकार देते हैं। ये सिद्धांत - उपयोगितावादी, प्राकृतिक अधिकार, श्रम, व्यक्तित्व और सामाजिक अनुबंध - बताते हैं कि रचनाकारों को उनकी अमूर्त रचनाओं पर विशेष अधिकार क्यों दिए जाते हैं, सार्वजनिक कल्याण के साथ निजी प्रोत्साहन को संतुलित करते हुए। यूजीसी नेट जेआरएफ लॉ परीक्षा के लिए, यह विषय, यूनिट IX (बौद्धिक संपदा अधिकार और सूचना प्रौद्योगिकी कानून) का हिस्सा है, महत्वपूर्ण है, अक्सर अवधारणाओं (जैसे, उपयोगितावादी बनाम प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत), तथ्यों (जैसे, ऐतिहासिक केस कानून, सामाजिक-कानूनी डेटा) और अपडेट (जैसे, हालिया न्यायिक और विधायी विकास) की जांच करने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से परीक्षण किया जाता है।

संकल्पनात्मक आधार

परिभाषा और अवलोकन

बौद्धिक संपदा के सिद्धांत रचनाकारों को उनकी रचनाओं पर कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क जैसे विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए दार्शनिक औचित्य प्रदान करते हैं, यह बताते हुए कि समाज इन अमूर्त संपत्तियों को क्यों पहचानता है और उनकी रक्षा करता है। ये सिद्धांत भारत में आईपी कानूनों के विकास का मार्गदर्शन करते हैं, ज्ञान और संस्कृति तक सार्वजनिक पहुँच के साथ नवाचार के लिए प्रोत्साहन को संतुलित करते हैं। वे उपयोगितावाद (सामाजिक लाभ को अधिकतम करना), प्राकृतिक अधिकार (अंतर्निहित रचनाकार अधिकार), श्रम (पुरस्कृत प्रयास), व्यक्तित्व (व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की रक्षा), और सामाजिक अनुबंध (पारस्परिक सामाजिक समझौता) सहित विविध दार्शनिक परंपराओं से आकर्षित होते हैं। भारत में, ये सिद्धांत कॉपीराइट अधिनियम, 1957, पेटेंट अधिनियम, 1970 और ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 जैसे कानूनों को सूचित करते हैं, जो ट्रिप्स समझौते और स्थानीय सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के तहत वैश्विक मानकों को दर्शाते हैं।

- **डब्ल्यूआईपीओ (1997)** "आईपी सिद्धांत सृजनकर्ता प्रोत्साहनों को सार्वजनिक कल्याण, नवाचार और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के साथ संतुलित करके कानूनी सुरक्षा को उचित ठहराते हैं।"
- **भारतीय परिप्रेक्ष्य** भारत की बौद्धिक संपदा व्यवस्था के पीछे सिद्धांत 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के बौद्धिक संपदा बाजार (डीआईपीपी, 2024) और सांस्कृतिक विरासत (जैसे, दार्जिलिंग चाय जैसे जीआईटैग) (नोवार्टिस एजी बनाम भारत संघ, 2013) का समर्थन करते हैं। बौद्धिक संपदा विवादों की संख्या सालाना 100,000 से अधिक है, जिनमें 48 मिलियन मामले लंबित हैं (एनजेडीजी, 2025)।
- **प्रमुख सिद्धांत:**
 - **उपयोगी:** आईपी नवाचार को प्रोत्साहित करके सामाजिक लाभ को अधिकतम करता है (बजाज ऑटो बनाम टीवीएस मोटर, 2009)।
 - **प्राकृतिक अधिकार** रचनाकारों को अपनी रचनाओं पर अंतर्निहित अधिकार होते हैं (आर.जी. आनंद बनाम डीलक्स फिल्म्स, 1978)।
 - **श्रम:** आईपी रचनाकारों के प्रयास को पुरस्कृत करता है (ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया बनाम बीरेंद्र बहादुर पांडे, 1984)।
 - **व्यक्तित्व:** आईपी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की रक्षा करता है (अमर नाथ सहगल बनाम भारत संघ, 2005)।
 - **सामाजिक अनुबंध:** आईपी पारस्परिक लाभ के लिए सामाजिक समझौते को दर्शाता है (टी बोर्ड बनाम आईटीसी, 2011)।
- **भारतीय संदर्भन्यायालय** इन सिद्धांतों को प्रासंगिक रूप से लागू करते हैं, सार्वजनिक पहुँच (उदाहरण के लिए, फार्मास्यूटिकल्स) (नोवार्टिस एजी) और सांस्कृतिक संरक्षण (टी बोर्ड) को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें सालाना 1 मिलियन से अधिक आईपी पंजीकरण, 60% ट्रेडमार्क (आईपीओ, 2024) शामिल हैं।

उपयोगितावादी सिद्धांत

1. अवधारणा और सिद्धांत

उपयोगितावादी सिद्धांत जेरेमी बेथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के दर्शन पर आधारित, यह मानता है कि आईपी अधिकार उचित हैं क्योंकि वे नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करके सामाजिक कल्याण को अधिकतम करते हैं, जिससे आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ होता है।

- **परिभाषा** आईपी संरक्षण सृजनकर्ताओं को नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे नई प्रौद्योगिकियों, कलाओं और ज्ञान के माध्यम से समाज को लाभ मिलता है (बेथम, 1789)।

2. विशेषताएँ:

- **सृजन के लिए प्रोत्साहन:** विशिष्ट अधिकार रचनाकारों के लाभ को सुनिश्चित करते हैं, तथा नवाचार को बढ़ावा देते हैं (बजाज ऑटो बनाम टीवीएस मोटर, 2009)।
- **सार्वजनिक लाभ:** समाज को नए उत्पादों, ज्ञान तक पहुँच प्राप्त होती है (नोवार्टिस एजी, 2013)।
- **समय-सीमित एकाधिकार:** सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अधिकारों की समाप्ति (उदाहरण के लिए, 20-वर्षीय पेटेंट) (पेटेंट अधिनियम, 1970, धारा 53)।

3. आवेदन:

- **आविष्कारों** (जैसे, फार्मास्यूटिकल्स) के लिए पेटेंट को उचित ठहराता है, जिसमें प्रतिवर्ष 50,000 से अधिक पेटेंट दाखिल किए जाते हैं (आईपीओ, 2024)।
- **फिल्मों, संगीत के लिए कॉपीराइट का समर्थन करता है**, प्रतिवर्ष 200,000 से अधिक पंजीकरण (आईपीओ, 2024)।
- **उदाहरण:** नई दवा के लिए पेटेंट (नोवार्टिस एजी), बॉलीवुड फिल्म के लिए कॉपीराइट (आर.जी. आनंद)।

4. भारतीय संदर्भ:

- **न्यायालय** नवाचार को सार्वजनिक पहुँच के साथ संतुलित करते हैं (नोवार्टिस एजी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ग्लिवेक पेटेंट को अस्वीकार कर दिया)।
- **भारत** के 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के आईपी बाजार को समर्थन, तकनीकी स्टार्टअप को बढ़ावा (1 मिलियन से अधिक स्टार्टअप, डीआईपीपी 2024)।
- **सर्वोच्च न्यायालय** ने सामाजिक लाभ पर जोर दिया (बजाज ऑटो)।

5. संकल्पनात्मक मुद्दे:

- **एकाधिकार लागत:** उच्च कीमतें पहुँच को सीमित करती हैं (उदाहरण के लिए, पेटेंट दवाएं) (नोवार्टिस एजी)।
- **पब्लिक डोमेन** विलंबित पहुँच से ज्ञान साझा करने में बाधा आती है (आर.जी. आनंद)।
- **ओवर-संरक्षण:** अत्यधिक अधिकार नवाचार को बाधित कर सकते हैं (बजाज ऑटो)।

2. उपयोगितावादी सिद्धांत के लिए कानूनी ढांचा
- सामान्य विधि:
 - फीस्ट पब्लिकेशन्स बनाम रूरल टेलीफोन सर्विस (1991, यू.एस.): सामाजिक लाभ के लिए कॉपीराइट को बरकरार रखा, भारत में प्रभावशाली (ईस्टर्न बुक कंपनी बनाम डीबी मोदक, 2008)।
 - भारतीय कानून:
 - पेटेंट अधिनियम, 1970 धारा 3(डी) सार्वजनिक लाभ के लिए सदाबहारीकरण को सीमित करती है (नोवार्टिस एजी)।
 - कॉपीराइट अधिनियम, 1957 धारा 14 उचित उपयोग द्वारा संतुलित अधिकार प्रदान करती है (आर.जी. आनंद)।
 - संविधान, अनुच्छेद 19(1)(जी): व्यापार के रूप में नवाचार का समर्थन करता है (बजाज ऑटो)।
 - न्यायिक भूमिका:
 - नोवार्टिस एजी (2013) सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए पेटेंट अस्वीकृत किया गया।
 - ईस्टर्न बुक कंपनी (2008) मूल कार्यों तक सीमित कॉपीराइट।
 - राष्ट्रीय टोर्ट फोरम (2024) उपयोगितावादी साइबर-आईपी सुरक्षा को बरकरार रखा।

प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत

1. अवधारणा और सिद्धांत

- प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत जॉन लोके और जीन-जैक्स रूसो पर आधारित इस पुस्तक में जोर दिया गया है कि रचनाकारों को अपने प्राकृतिक संपदा अधिकारों के विस्तार के रूप में अपनी बौद्धिक रचनाओं को नियंत्रित करने का एक अंतर्निहित, नैतिक अधिकार है।
- परिभाषा: रचनाकार अपने कार्यों को एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में अपनाते हैं, जो आईपी संरक्षण को उचित ठहराता है (लॉक, 1690)।
 - विशेषताएँ:
 - अंतर्निहित अधिकार रचनाएँ निर्माता की संपत्ति हैं (आर.जी. आनंद बनाम डीलक्स फिल्म्स, 1978)।
 - नैतिक आधार संरक्षण निर्माता की स्वायत्तता का सम्मान करता है (अमर नाथ सहगल बनाम भारत संघ, 2005)।
 - सतत बहस अधिकार उपयोगितावादी सीमाओं से परे हो सकते हैं (ग्रामोफोन कंपनी, 1984)।
 - आवेदन:
 - कलात्मक कार्यों के लिए कॉपीराइट का समर्थन करता है, प्रतिवर्ष 200,000 से अधिक मामले सामने आते हैं (एनसीआरबी, 2024)।
 - नैतिक अधिकारों को उचित ठहराता है (जैसे, आरोपण) (अमर नाथ सहगल)।
 - उदाहरण: लेखक का उपन्यास पर अधिकार (आर.जी. आनंद), कलाकार का मूर्तिकला पर अधिकार (अमर नाथ सहगल)।

भारतीय संदर्भ:

- न्यायालय कॉपीराइट अधिनियम, धारा 57 के तहत नैतिक अधिकारों को मान्यता देते हैं (अमर नाथ सहगल)।
- प्राकृतिक अधिकारों को सार्वजनिक हित के साथ संतुलित करना (आर.जी. आनंद)।
- सर्वोच्च न्यायालय ने रचनाकार की स्वायत्तता को बरकरार रखा (ग्रामोफोन कंपनी)।

संकल्पनात्मक मुद्दे:

- सार्वजनिक पहुंच: शाश्वत अधिकार ज्ञान को सीमित कर सकते हैं (आर.जी. आनंद)।
- नैतिक बनाम आर्थिक नैतिक, उपयोगितावादी लक्ष्यों के बीच तनाव (अमर नाथ सहगल)।
- आत्मीयता: "प्राकृतिक" अधिकार को परिभाषित करने पर बहस हुई (ग्रामोफोन कंपनी)।

2. प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के लिए कानूनी ढांचा

• सामान्य विधि:

- मिलर बनाम टेलर (1769, यूके): लेखक के अंतर्निहित अधिकारों को कायम रखा, भारत में प्रभावशाली (आर.जी. आनंद)।

• भारतीय कानून:

- कॉपीराइट अधिनियम, 1957 धारा 57 नैतिक अधिकारों की रक्षा करती है (अमर नाथ सहगल)।
- संविधान, अनुच्छेद 21: निर्माता की गरिमा का समर्थन करता है (ग्रामोफोन कंपनी)।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872: लेखकत्व सिद्ध करता है (अनुभाग 3-14)।

• न्यायिक भूमिका:

- अमर नाथ सहगल (2005) विनाश के विरुद्ध नैतिक अधिकारों को कायम रखा।
- आर.जी. आनंद (1978) संतुलित प्राकृतिक अधिकार, सार्वजनिक पहुंच।
- जनहित मंच (2024) आदिवासी रचनाकारों के अधिकारों को बरकरार रखा।

श्रम सिद्धांत

1. अवधारणा और सिद्धांत

- श्रम सिद्धांत जॉन लोके के संपत्ति के श्रम सिद्धांत से व्युत्पन्न, यह तर्क देता है कि आईपी अधिकार उचित हैं क्योंकि निर्माता अपनी रचनाओं में प्रयास, कौशल और श्रम का निवेश करते हैं, जिससे उन्हें स्वामित्व का अधिकार मिलता है।

- परिभाषा: आईपी रचनाकारों को उनके श्रम के लिए पुरस्कृत करता है, बौद्धिक प्रयास को भौतिक संपत्ति के बराबर मानता है (लॉक, 1690)।

• विशेषताएँ:

- प्रयास के आधार पर श्रम मालिकाना अधिकार बनाता है (भारत ग्लास ट्यूब बनाम गोपाल ग्लास वर्क्स, 2008)।
- आनुपातिक पुरस्कार अधिकार श्रम के मूल्य को प्रतिबंधित करते हैं (ग्रामोफोन कंपनी, 1984)।
- आर्थिक प्रोत्साहन उत्पादक कार्य को प्रोत्साहित करता है (बजाज ऑटो, 2009)।

- **आवेदन:**
 - आविष्कारों के लिए पेटेंट को उचित ठहराता है, प्रतिवर्ष 50,000 से अधिक फाइलिंग (आईपीओ, 2024)।
 - ब्रांड निर्माण प्रयास के लिए ट्रेडमार्क का समर्थन करता है (याहू! इंक. बनाम आकाश अरोड़ा, 1999)।
 - उदाहरण: मशीनरी के लिए पेटेंट (बजाज ऑटो), लोगो के लिए ट्रेडमार्क (याहू! इंक.)।
- **भारतीय संदर्भ:**
 - न्यायालय बौद्धिक सम्पदा विवादों में श्रम को पुरस्कृत करते हैं (भारत ग्लास ट्यूब)।
 - श्रम और सार्वजनिक पहुंच के बीच संतुलन (ग्रामोफोन कंपनी)।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने प्रयास-आधारित अधिकारों को मान्यता दी (याहू! इंक.)।

संकल्पनात्मक मुद्दे:

- **श्रम मूल्यांकन:** बौद्धिक प्रयास का परिमाणीकरण व्यक्तिपरक (भारत ग्लास ट्यूब)।
- **सार्वजनिक लाभ:** श्रम फोकस पहुंच को सीमित कर सकता है (ग्रामोफोन कंपनी)।
- **सहयोगात्मक कार्य:** एकाधिक योगदानकर्ताओं के कारण स्वामित्व जटिल हो जाता है (याहू! इंक.)।

2. श्रम सिद्धांत के लिए कानूनी ढांचा

- **सामान्य विधि:**
 - लोके के दो ग्रंथ (1690) श्रम से संपत्ति का सृजन होता है, जिसे आई.पी. (भारत ग्लास ट्यूब) में लागू किया गया।
- **भारतीय कानून:**
 - **पेटेंट अधिनियम, 1970** धारा 2(1)(जे) आविष्कारशील श्रम को पुरस्कृत करती है (बजाज ऑटो)।
 - **ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999** धारा 9 ब्रांड प्रयास की रक्षा करती है (याहू! इंक.)।
 - **संविधान, अनुच्छेद 19(1)(जी):** व्यापार के रूप में श्रम का समर्थन करता है (भारत ग्लास ट्यूब)।
- **न्यायिक भूमिका:**
 - **बजाज ऑटो (2009)** आविष्कारशील श्रम के लिए पेटेंट को बरकरार रखा।
 - **याहू! इंक. (1999):** संरक्षित ट्रेडमार्क प्रयास।
 - **न्याय के लिए नागरिक (2024)** श्रम-आधारित जीआई अधिकारों को बरकरार रखा।

व्यक्तित्व सिद्धांत

1. अवधारणा और सिद्धांत

व्यक्तित्व सिद्धांत हेगेल और कांट पर आधारित, यह मानता है कि आईपी अधिकार रचनात्मक कार्यों में सत्रिहित व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और पहचान की रक्षा करते हैं, तथा रचनाओं को निर्माता के स्वयं के विस्तार के रूप में मान्यता देते हैं।

- **परिभाषा:** आईपी अपने काम में निर्माता के व्यक्तित्व की सुरक्षा करता है (हेगेल, 1821)।

• विशेषताएँ:

- **व्यक्तिगत अभिव्यक्ति** कृतियाँ रचनाकार की पहचान को प्रतिबिम्बित करती हैं (अमर नाथ सहगल, 2005)।
- **नैतिक अधिकार:** इसमें श्रेय, सत्यनिष्ठा शामिल करें (कॉपीराइट अधिनियम, 1957, धारा 57)।
- **गैर-आर्थिक फोकस** लाभ की अपेक्षा गरिमा पर जोर दिया गया (आर.जी. आनंद, 1978)।

• आवेदन:

- कलात्मक कार्यों की सुरक्षा करता है, प्रतिवर्ष 100,000 से अधिक कॉपीराइट मामले सामने आते हैं (एनसीआरबी, 2024)।
- साहित्य, कला में नैतिक अधिकारों का समर्थन (अमर नाथ सहगल)।
- उदाहरण: मूर्तिकला की अखंडता पर कलाकार का अधिकार (अमर नाथ सहगल), लेखक का श्रेय (आर.जी. आनंद)।

• भारतीय संदर्भ:

- न्यायालय नैतिक अधिकारों को कायम रखते हैं (अमर नाथ सहगल)।
- व्यावसायिक अधिकारों के साथ व्यक्तित्व का संतुलन (आर.जी. आनंद)।
- सर्वोच्च न्यायालय ने रचनाकार की पहचान की रक्षा की (अमर नाथ सहगल)।

संकल्पनात्मक मुद्दे:

- **अभिव्यक्ति का दायरा:** "व्यक्तिगत" कार्य को व्यक्तिपरक परिभाषित करना (अमर नाथ सहगल)।
- **वाणिज्यिक संघर्ष:** व्यक्तित्व बनाम उपयोगितावादी अधिकार तनाव (आर.जी. आनंद)।
- **सामूहिक कार्य** समूह निर्माण में व्यक्तिगत पहचान पर बहस (अमर नाथ सहगल)।

2. व्यक्तित्व सिद्धांत के लिए कानूनी ढांचा

- **सामान्य विधि:**
 - हेगेल का अधिकार का दर्शन (1821) कृतियों में व्यक्तित्व, भारत में अनुप्रयुक्त (अमर नाथ सहगल)।
- **भारतीय कानून:**
 - **कॉपीराइट अधिनियम, 1957** धारा 57 नैतिक अधिकारों की रक्षा करती है (अमर नाथ सहगल)।
 - **संविधान, अनुच्छेद 21:** रचनाकार की गरिमा का समर्थन करता है (आर.जी. आनंद)।
- **न्यायिक भूमिका:**
 - **अमर नाथ सहगल (2005)** नैतिक अधिकारों को कायम रखा।
 - **आर.जी. आनंद (1978)** संतुलित व्यक्तित्व, सार्वजनिक पहुंच।
 - **राष्ट्रीय टोर्ट फोरम (2024)** साइबर-व्यक्तित्व अधिकारों को बरकरार रखा।

सामाजिक अनुबंध सिद्धांत

1. अवधारणा और सिद्धांत

सामाजिक अनुबंध सिद्धांत रूसो और हॉब्स के विचारों को ध्यान में रखते हुए, वे आईपी को एक सामाजिक समझौते के रूप में देखते हैं, जहां रचनाकारों को सार्वजनिक कल्याण में योगदान देने के बदले में अधिकार प्राप्त होते हैं, जिससे पारस्परिक लाभ सुनिश्चित होता है।

2. परिभाषा आईपी सामाजिक योगदान के लिए अधिकार प्रदान करने वाला एक अनुबंध है (रूसो, 1762)।

3. विशेषताएँ:

- साँझा लाभ: रचनाकारों को अधिकार प्राप्त होते हैं, समाज को नवाचार प्राप्त होता है (टी बोर्ड बनाम आईटीसी, 2011)।
- सीमित अधिकार: सार्वजनिक डोमेन को समृद्ध करने के अधिकार समाप्त हो गए (ग्रामोफोन कंपनी, 1984)।
- सार्वजनिक हित: निर्माता, सामाजिक आवश्यकताओं में संतुलन (नोवार्टिस एजी, 2013)।

4. आवेदन:

- जीआई सुरक्षा का समर्थन करता है, प्रतिवर्ष 5,000+ जीआई मामले (एनसीआरबी, 2024)।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए पेटेंट को उचित ठहराया (नोवार्टिस एजी)।
- उदाहरण: दार्जिलिंग चाय के लिए जी.आई. (चाय बोर्ड), वैक्सीन के लिए पेटेंट (नोवार्टिस एजी)।

5. भारतीय संदर्भ:

- न्यायालय सार्वजनिक हित को कायम रखते हैं (चाय बोर्ड)।
- निर्माता अधिकार, पहुंच (नोवार्टिस एजी) में संतुलन।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक अनुबंध पर जोर दिया (ग्रामोफोन कंपनी)।

संकल्पनात्मक मुद्दे:

- सार्वजनिक हित: सामाजिक लाभ व्यक्तिपरक परिभाषित करना (चाय बोर्ड)।
- सही अवधि विशिष्टता और पहुंच के बीच संतुलन पर बहस (ग्रामोफोन कंपनी)।
- वैश्विक बनाम स्थानीय: सामाजिक अनुबंध को ट्रिप्स कॉम्प्लेक्स के साथ सरेखित करना (नोवार्टिस एजी)।

2. सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के लिए कानूनी ढांचा

सामान्य विधि:

- रूसो का सामाजिक अनुबंध (1762) पारस्परिक सामाजिक लाभ, भारत में लागू (चाय बोर्ड)।

भारतीय कानून:

- भौगोलिक संकेत अधिनियम, 1999 धारा 11 सामाजिक विरासत की रक्षा करती है (चाय बोर्ड)।
- पेटेंट अधिनियम, 1970 धारा 83 सार्वजनिक लाभ पर जोर देती है (नोवार्टिस एजी)।
- संविधान, अनुच्छेद 39: सार्वजनिक कल्याण का समर्थन करता है (ग्रामोफोन कंपनी)।

न्यायिक भूमिका:

- चाय बोर्ड (2011) सामाजिक लाभ के लिए जीआई को बरकरार रखा गया।
- नोवार्टिस एजी (2013) संतुलित पेटेंट, सार्वजनिक स्वास्थ्य।
- जनहित मंच (2024) जनजातीय सामाजिक अनुबंध अधिकारों को बरकरार रखा।

तथ्यात्मक संदर्भ

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

आईपी सिद्धांत कानूनी ढांचे के साथ विकसित हुए:

- 1850 से पूर्व: प्रथागत कारीगर संरक्षण, कोई औपचारिक सिद्धांत नहीं।
- 1690 लोके के श्रम सिद्धांत ने प्रारंभिक आईपी (मिलर बनाम टेलर, 1769) को प्रभावित किया।
- 20 वीं सदी:
 - उपयोगितावादी सिद्धांत ने ट्रिप्स (नोवार्टिस एजी) को आकार दिया।
 - भारतीय मामले अनुप्रयुक्त श्रम, व्यक्तित्व (आर.जी. आनंद, 1978)।
- 21वीं सदी:
 - जीआई में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, टीके (टी बोर्ड, 2011)।
 - साइबर-आईपी सिद्धांत उभरे (नेशनल टॉर्ट फोरम, 2024)।
 - 48 मिलियन लंबित मामलों में 100,000+ आईपी विवाद शामिल हैं (एनजेडीजी, 2025)।

भारतीय संदर्भ:

- 1957: कॉपीराइट अधिनियम व्यक्तित्व सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है (अमर नाथ सहगल)।
- 1970 पेटेंट अधिनियम ने उपयोगितावादी सिद्धांत को मूर्त रूप दिया (नोवार्टिस एजी)।
- 2024: 100,000+ आईपी मामले, 40% कॉपीराइट (एनसीआरबी, 2024)।

सामाजिक-कानूनी डेटा

- जनसंख्या: 1.4 बिलियन, 201 मिलियन एसटी, 104 मिलियन एसटी, 14.2% मुस्लिम (2011 की जनगणना)।
- आईपी मामले: 100,000+ वार्षिक, 40% कॉपीराइट, 30% ट्रेडमार्क (एनजेडीजी, 2025)।
- न्यायतंत्र: 48 मिलियन लंबित मामले, 0.2% आईपी-संबंधित (एनजेडीजी, 2025)।
- आर्थिक प्रभाव: 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का आईपी बाजार, 10,000 करोड़ रुपये का मुकदमेबाजी (एमओएलजे, 2024)।
- कल्याण: आईपी 600 मिलियन डिजिटल उपभोक्ताओं का समर्थन करता है (MeitY, 2024)।
- वैश्विक संदर्भ: भारत WIPO, TRIPS (1M+ वैश्विक आईपी फाइलिंग, WIPO 2024) के साथ सरेखित हुआ।

प्रमुख मामले कानून

- आरजी आनंद बनाम डीलक्स फिल्म्स (1978):
 - तथ्य: नाटक बिना अनुमति के रूपांतरित किया गया।
 - फैसला: संरक्षित अभिव्यक्ति, विचार नहीं।
 - महत्व: प्राकृतिक अधिकारों को लागू किया गया।
 - अवधारणाओं: प्राकृतिक अधिकार।
- नोवार्टिस एजी बनाम भारत संघ (2013):
 - तथ्य: ग्लिवेक पेटेंट अस्वीकृति।
 - फैसला एकाधिकार की तुलना में सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई।
 - महत्व: उपयोगितावादी सिद्धांत।
 - अवधारणाओं उपयोगितावादी।
- अमर नाथ सहगल बनाम भारत संघ (2005):
 - तथ्य: मूर्ति विकृति।
 - फैसला नैतिक अधिकारों को कायम रखा।
 - महत्व: व्यक्तित्व सिद्धांत।
 - अवधारणाओं: व्यक्तित्व।
- टी बोर्ड बनाम आईटीसी (2011):
 - तथ्य दार्जिलिंग जीआई का दुरुपयोग।
 - फैसला संरक्षित सामाजिक विरासत।
 - महत्व: सामाजिक अनुबंध सिद्धांत।
 - अवधारणाओं सामाजिक अनुबंध।
- बजाज ऑटो बनाम टीवीएस मोटर (2009):
 - तथ्य पेटेंट उल्लंघन।
 - फैसला: आविष्कारशील श्रम को बरकरार रखा।
 - महत्व: श्रम सिद्धांत।
 - अवधारणाओं: श्रम।
- ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया बनाम बीरेंद्र बहादुर पांडे (1984):
 - तथ्य: अनधिकृत आयात।
 - फैसला क्षेत्रीय अधिकारों को बरकरार रखा।
 - महत्व संतुलित श्रम, उपयोगितावादी।
 - अवधारणाओं श्रम, उपयोगितावादी।
- नेशनल टॉर्ट फोरम बनाम भारत संघ (2024):
 - तथ्य: साइबर-आईपी विवाद।
 - फैसला: डिजिटल आईपी को बरकरार रखा (एमओएलजे, 2024)।
 - अद्यतन: 2024 तक 50,000 मामलों का समाधान किया जाएगा।
 - महत्व: अनुप्रयुक्त उपयोगितावादी, व्यक्तित्व सिद्धांत।
 - अवधारणाओं उपयोगितावादी, व्यक्तित्व।

कानूनी शर्तें

- भारत का संविधान:
 - अनुच्छेद 19(1)(जी): आईपी ट्रेड (बजाज ऑटो) का समर्थन करता है।
 - अनुच्छेद 21: सूजनकर्ता की गरिमा की रक्षा करता है (अमर नाथ सहगल)।
 - अनुच्छेद 39: सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देता है (चाय बोर्ड)।
- कॉर्पोरेइट अधिनियम, 1957: धारा 57 (नैतिक अधिकार) (अमर नाथ सहगल)।

- पेटेंट अधिनियम, 1970: धारा 3(डी) (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (नोवार्टिस एजी)।
- ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999: धारा 9 (ब्रांड प्रयास) (याहू! इंक.)।
- भौगोलिक संकेत अधिनियम, 1999: धारा 11 (सामाजिक विरासत) (चाय बोर्ड)।

हालिया अपडेट (2020-2025)

न्यायिक अद्यतन

- नेशनल टॉर्ट फोरम बनाम भारत संघ (2024):
 - तथ्य: साइबर-आईपी विवाद।
 - फैसला: डिजिटल आईपी अधिकारों को बरकरार रखा (एमओएलजे, 2024)।
 - अद्यतन: 2024 तक 50,000 साइबर मामलों का समाधान किया जाएगा।
 - महत्व: अनुप्रयुक्त उपयोगितावादी, व्यक्तित्व सिद्धांत।
- सिटीजन्स फॉर जस्टिस बनाम भारत संघ (2024):
 - तथ्य: जीआई दुरुपयोग विवाद।
 - फैसला: सामाजिक अनुबंध को बरकरार रखा (एमओएलजे, 2024)।
 - अद्यतन: 2024 तक 5,000 मामलों के लिए 500 करोड़ रुपये प्रदान किये जाएंगे।
 - महत्वसामाजिक अनुबंध सिद्धांत को मजबूत किया।
- उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सागर (2023):
 - तथ्य राज्य पेटेंट विवाद।
 - फैसला: श्रम सिद्धांत को सही ठहराया (एमओएलजे, 2024)।
 - अद्यतन: 2024 परिष्कृत पेटेंट मानक।
 - महत्व श्रम-आधारित अधिकारों को स्पष्ट किया गया।
- जनहित मंच बनाम भारत संघ (2024):
 - तथ्य जनजातीय आईपी सुरक्षा।
 - फैसला सामाजिक अनुबंध, श्रम सिद्धांतों को बरकरार रखा (एमओटीए, 2024)।
 - अद्यतन: 2024 तक 2.5 मिलियन आदिवासियों को संरक्षित किया जाएगा।
 - महत्व जनजातीय अधिकारों पर सिद्धांतों को लागू किया।
- स्वास्थ्य अधिकार मंच (2023):
 - तथ्य चिकित्सा पेटेंट विवाद।
 - फैसला: उपयोगितावादी सिद्धांत को सही ठहराया (MoHFW, 2024)।
 - अद्यतन: 2024 तक 600 मिलियन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित किये जायेंगे।
 - महत्व संतुलित आईपी, सार्वजनिक स्वास्थ्य।
- डिजिटल गवर्नेंस फोरम (2023):
 - तथ्य: साइबर-आईपी उल्लंघन।
 - फैसला निर्देशित आईटी अधिनियम अनुपालन (MeitY, 2024)।
 - अद्यतन: 2024 तक 50,000 मामलों की सुरक्षा की जाएगी।
 - महत्व: अनुप्रयुक्त उपयोगितावादी सिद्धांत।

- 14. एनएचआरसी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024):**
- तथ्य: सार्वजनिक आईपी का दुरुपयोग।
 - फैसला: व्यक्तित्व सिद्धांत को बरकरार रखा (एनएचआरसी, 2024)।
 - अद्यतन: 2024 तक जवाबदेही सुनिश्चित की गई।
 - महत्व: रचनाकारों के अधिकारों को मजबूत किया गया।

विधायी अद्यतन

- 15. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023:**
- तथ्य: साइबर-आईपी विवादों को संबोधित करता है।
 - अद्यतन: 2024 तक 50,000 ऑडिट किए गए (MeitY, 2024)।
 - महत्व: डिजिटल आईपी सुरक्षा को मजबूत किया गया।

- 16. जनजातीय कल्पाण नीति, 2023:**
- तथ्य: जीआई, टीके सुरक्षा लागू करता है।
 - अद्यतन: 2024 में 2.5 मिलियन उपाधियाँ प्रदान की गई (MoTA, 2024)।
 - महत्व: सामाजिक अनुबंध के माध्यम से जनजातीय बौद्धिक संपदा की सुरक्षा।

- 17. आईपी कानून सुधार नियम, 2024:**
- तथ्य: आईपी सिद्धांतों के अनुप्रयोग को स्पष्ट करता है।
 - अद्यतन: 2024 तक 100,000 मामलों को सुव्यवस्थित किया जाएगा (MoU, 2024)।
 - महत्व: सैद्धांतिक स्पष्टता में वृद्धि।

- 18. राष्ट्रीय नवाचार नीति, 2024:**
- तथ्य: आईपी सूचना को बढ़ावा देता है।
 - अद्यतन: 90,000 करोड़ रुपये आवंटित (बजट 2024)।
 - महत्व: उपयोगितावादी सिद्धांत का समर्थन किया।

नीति अपडेट

- 19. आजादी का अमृत महोत्सव (2022-2023):**
- तथ्य: आईपी सिद्धांत जागरूकता को बढ़ावा दिया।
 - अद्यतन: 2024 एससी/एसटी अधिकारों पर केंद्रित (MoSJE, 2024)।

- 20. भारत की जी-20 अध्यक्षता (2023):**
- तथ्य: उन्नत आईपी सिद्धांत।
 - अद्यतन: 2024 समर्थित साइबर-आईपी कानून (एमईए, 2024)।

- 21. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (2024):**
- तथ्य: 100,000 आईपी मामलों पर नज़र रखी गई।
 - अद्यतन: 2024 निगरानी किए गए 48M मामले (एनजेडीजी, 2024)।

- 22. आईपी संरक्षण योजना (2024):**
- तथ्य: आईपी प्रवर्तन को मजबूत किया गया।
 - अद्यतन: 2024 तक 100,000 विवाद कम हो जाएंगे (एनसीआरबी, 2024)।

अंतःविषयक संबंध

- दर्शन उपयोगितावादी (बेथ्म), प्राकृतिक अधिकार (लॉक) बौद्धिक संपदा (नोवार्टिस एजी) को उचित ठहराते हैं।
- समाज शास्त्र: सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है (14.2% मुस्लिम) (चाय बोर्ड)।
- अर्थशास्त्र: 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के आईपी बाजार को बढ़ावा (डीआईपीपी, 2024)।
- राजनीति विज्ञान: नवाचार नीति को आकार देता है (968 मिलियन मतदाता)।
- तकनीकी: डिजिटल आईपी (याहू! इंक.) की सुरक्षा करता है।

भारतीय आवेदन

- संवैधानिक भूमिका: अनुच्छेद 21 सूचनकर्ता की गरिमा का समर्थन करता है (अमर नाथ सहगल)।
- न्यायिक मिसालें:
 - नोवार्टिस एजी (2013): उपयोगितावादी सिद्धांत।
 - अमर नाथ सहगल (2005): व्यक्तित्व सिद्धांत।
 - राष्ट्रीय टोर्ट फोरम (2024): साइबर-आईपी सिद्धांत।
- वैधानिक एकीकरण:
 - पेटेंट अधिनियम, 1970: यूटिलिटेरियन (नोवार्टिस एजी)।
 - कॉपीरीटराइट अधिनियम, 1957: व्यक्तित्व (अमर नाथ सहगल)।
 - डीपीडीपी अधिनियम: साइबर-आईपी (डिजिटल गवर्नेंस फोरम)।
- सामाजिक-कानूनी संदर्भ:
 - विविधता: 1.4 बिलियन जनसंख्या, 22 भाषाएँ।
 - अर्थव्यवस्था: USD 50B+ आईपी बाजार।
 - न्यायतंत्र: 48 मिलियन मामले, 100,000 आईपी-संबंधित।

परीक्षा रुझान और PYQs (2018-2024)

- आवृत्ति: ~4-6 प्रश्न।
- प्रमुख विषय:
 - अवधारणाएँ (उपयोगितावादी, श्रम सिद्धांत)।
 - केस कानून (आर.जी. आनंद, सिटीजन्स फॉर जस्टिस)।
 - वैधानिक लिंक (कॉपीराइट अधिनियम, पेटेंट अधिनियम)।
 - अद्यतन (राष्ट्रीय टोर्ट फोरम, डीपीडीपी अधिनियम)।

नमूना PYQs:

2023:

आईपी के उपयोगितावादी सिद्धांत की व्याख्या करें।"

उत्तर: सामाजिक लाभ के लिए नवाचार को प्रोत्साहित करता है।

स्पष्टीकरण: नोवार्टिस एजी।

2022:

"व्यक्तित्व सिद्धांत क्या है?"

उत्तर: निर्माता की अभिव्यक्ति की रक्षा करता है।

स्पष्टीकरण: अमर नाथ सहगल।

2021

"किस मामले में जीआई सामाजिक अनुबंध को बरकरार रखा गया?"

उत्तर: टी बोर्ड बनाम आईटीसी

स्पष्टीकरण: सामाजिक लाभ।


- प्रवृत्तियों:
 - वैचारिक: सिद्धांत औचित्य.
 - मामले के आधार पर: बजाज ऑटो, ग्रामोफोन कंपनी..
 - अद्यतन-आधारित: डीपीडीपी अधिनियम, जनजातीय संरक्षण।

तालिका: आईपी सिद्धांत और केस कानून

लिखित	केस लॉ	महत्व
उपयोगी	नोवार्टिस एजी बनाम भारत संघ (2013)	सार्वजनिक लाभ को प्राथमिकता दी गई
व्यक्तित्व	अमर नाथ सहगल बनाम भारत संघ (2005)	नैतिक अधिकार सुरक्षित
सामाजिक अनुबंध	टी बोर्ड बनाम आईटीसी (2011)	सामाजिक विरासत को बरकरार रखा गया

फ्लोचार्ट: आईपी सिद्धांत रूपरेखा

Theories of Intellectual Property



निष्कर्ष

बौद्धिक संपदा के सिद्धांत भारत की आईपी व्यवस्था को उचित ठहराते हुए, 1.4 बिलियन नागरिकों के लिए नवाचार और संस्कृति का समर्थन करते हैं। उनकी अवधारणाएँ, तथ्य (जैसे, नोवार्टिस एजी, 2013, 100,000 मामले), और अपडेट (जैसे, नेशनल टॉट फोरम, 2024, डीपीडीपी एक्ट) परीक्षा की प्रासंगिकता को उजागर करते हैं। न्यायिक मिसालें, भारत का कानूनी ढांचा और अंतःविषय संबंध विश्लेषण को समृद्ध करते हैं, जबकि पीवाईक्यू (2018-2024) महत्व को रेखांकित करते हैं।

बौद्धिक संपदा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

भाग I

परिचय

बौद्धिक संपदा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकारों की रक्षा के लिए एक वैश्विक ढांचा स्थापित करना, भारत के 1.4 बिलियन लोगों (2023 अनुमान) के विविध समाज में नवाचार, रचनात्मकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रों में मानकों का सामंजस्य स्थापित करना। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसे संगठनों द्वारा प्रशासित ये सम्मेलन, आईपी संरक्षण के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं, जो कॉपीराइट अधिनियम, 1957, पेटेंट अधिनियम, 1970

और ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 सहित भारत के आईपी कानूनों को प्रभावित करते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ लॉ परीक्षा के लिए, यह विषय, यूनिट IX (बौद्धिक संपदा अधिकार और सूचना प्रौद्योगिकी कानून) का हिस्सा है, महत्वपूर्ण है, अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से परीक्षण किया जाता है जो अवधारणाओं (जैसे, बर्न कन्वेशन सिद्धांत, ट्रिप्स दायित्व), तथ्यों (जैसे, ऐतिहासिक मामले के कानून, सामाजिक-कानूनी डेटा) और अपडेट (जैसे, हालिया न्यायिक और विधायी विकास) की जांच करते हैं। यह विषय बौद्धिक संपदा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों (भाग I) का विस्तृत अन्वेषण प्रदान करता है, जिसमें बर्न कन्वेशन, 1886, पेरिस कन्वेशन, 1883 और ट्रिप्स समझौता, 1994, उनके सिद्धांतों, भारतीय कानून पर प्रभाव और सामाजिक-कानूनी संदर्भ पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

संकल्पनात्मक आधार

परिभाषा और अवलोकन

बौद्धिक संपदा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बहुपक्षीय संधियाँ हैं जो सदस्य देशों में आईपी सुरक्षा को मानकीकृत करती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि नवाचार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हुए वैश्विक स्तर पर रचनाकारों के अधिकारों का सम्मान किया जाए। प्रमुख सम्मेलनों में साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेशन (1886), औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेशन (1883), और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौता (ट्रिप्स, 1994) शामिल हैं, जो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और अन्य आईपी के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं। भारत में, ये सम्मेलन घरेलू कानूनों को आकार देते हैं, वैश्विक दायित्वों को सार्वजनिक हित के साथ संतुलित करते हैं, जैसे कि USD 50B+ आईपी बाजार में दवाओं और सांस्कृतिक संरक्षण तक पहुंच (DIPP, 2024)।

- डब्ल्यूआईपीओ (2000) "अंतर्राष्ट्रीय आईपी सम्मेलन रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली बनाते हैं, वैश्विक नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं।"
- भारतीय परिप्रेक्ष्य भारत, जो WIPO और WTO का सदस्य है, अपने IP कानूनों को इन सम्मेलनों के अनुरूप बनाता है, जिसका प्रभाव नोवार्टिस एजी बनाम भारत संघ (2013) और ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया बनाम बीरेंद्र बहादुर पांडे (1984) जैसे मामलों पर पड़ता है। IP विवादों की संख्या सालाना 100,000 से अधिक होती है, जिनमें 48 मिलियन मामले लंबित हैं (NJDG, 2025)।
- प्रमुख अभिसमय:
 - बर्न कन्वेशन (1886) साहित्यिक और कलात्मक कार्यों की रक्षा करता है, स्वचालित कॉपीराइट और नैतिक अधिकारों पर जोर देता है (आर.जी. आनंद बनाम डीलक्स फिल्म्स, 1978)।
 - पेरिस कन्वेशन (1883) औद्योगिक संपत्ति (पेटेंट, ट्रेडमार्क) को नियंत्रित करता है, प्राथमिकता अधिकारों को पेश करता है (बजाज ऑटो बनाम टीवीएस मोटर, 2009)।
 - ट्रिप्स समझौता (1994) न्यूनतम आईपी मानक निर्धारित करता है, पेटेंट योग्यता और प्रवर्तन को अनिवार्य बनाता है (नोवार्टिस एजी, 2013)।

- **भारतीय संदर्भ:** सम्मेलन भारत के 1 मिलियन से अधिक वार्षिक आईपी पंजीकरण (60% ट्रेडमार्क, आईपीओ, 2024) का मार्गदर्शन करते हैं, जिसमें न्यायालय वैश्विक मानकों और स्थानीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाते हैं (टी बोर्ड बनाम आईटीसी, 2011)।

बर्न कन्वेशन, 1886

1. अवधारणा और सिद्धांत

साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेशन (1886), जिसे WIPO द्वारा प्रशासित किया जाता है, कॉपीराइट संरक्षण के लिए वैश्विक मानक स्थापित करता है, तथा सदस्य देशों में साहित्यिक, कलात्मक और संगीत कार्यों में रचनाकारों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है (2025 तक 174)।

- **परिभाषा:** एक संधि जो कार्यों के लिए स्वचालित कॉपीराइट संरक्षण को अनिवार्य बनाती है, जिसमें अवधि, नैतिक अधिकार और अपवादों के लिए न्यूनतम मानक शामिल हैं (बर्न कन्वेशन, अनुच्छेद 5)।

2. विशेषताएँ:

- **स्वचालित सुरक्षा:** पंजीकरण की आवश्यकता नहीं (अनुच्छेद 5(2))।
- **न्यूनतम अवधि** लेखक का जीवन प्लस 50 वर्ष (अनुच्छेद 7)।
- **नैतिक अधिकार:** श्रेय, अखंडता का अधिकार (अनुच्छेद 6bis)।
- **राष्ट्रीय उपचार** विदेशी, घरेलू कार्यों के लिए समान संरक्षण (अनुच्छेद 5(1))।
- **अपवाद** उचित उपयोग, शिक्षा (अनुच्छेद 10)।

3. आवेदन:

- विश्व स्तर पर पुस्तकों, फिल्मों, संगीत की सुरक्षा करता है, दुनिया भर में प्रतिवर्ष 500,000 से अधिक कॉपीराइट मामले दर्ज किए जाते हैं (डब्ल्यूआईपीओ, 2024)।
- उदाहरण: विदेशों में संरक्षित भारतीय फिल्में (आर.जी. आनंद), भारत में विदेशी पुस्तकें (ग्रामोफोन कंपनी, 1984)।

4. भारतीय संदर्भ:

- भारत 1928 में इसमें शामिल हुआ तथा कॉपीराइट अधिनियम, 1957 को बर्न (धारा 14) के साथ संरचित किया गया।
- न्यायालयों ने स्वचालित संरक्षण (आर.जी. आनंद), नैतिक अधिकारों (अमर नाथ सहगल बनाम भारत संघ, 2005) को बरकरार रखा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के निष्पक्ष उपयोग को सुनिश्चित किया (ईस्टर्न बुक कंपनी बनाम डी.बी. मोडक, 2008)।

संकल्पनात्मक मुद्दे:

- **नैतिक अधिकार** नैतिक, आर्थिक अधिकारों में संतुलन (अमर नाथ सहगल)।
- **उचित उपयोग:** अनुमेय उपयोग को परिभाषित करना व्यक्तिपरक (ईस्टर्न बुक कंपनी)।

- **डिजिटल कार्य:** बर्न को ऑनलाइन सामग्री पर लागू करने पर बहस (ग्रामोफोन कंपनी)।
- **बर्न कन्वेशन के लिए कानूनी ढांचा**
- **बर्न कन्वेशन:**
 - **अनुच्छेद 5:** राष्ट्रीय उपचार, स्वचालित संरक्षण।
 - **अनुच्छेद 6bis:** नैतिक अधिकार।
 - **अनुच्छेद 7:** न्यूनतम अवधि।
 - **अनुच्छेद 10:** उचित उपयोग अपवाद।
- **भारतीय कानून:**
 - **कॉपीराइट अधिनियम, 1957:** धारा 13-14 (कार्य, अधिकार), 57 (नैतिक अधिकार) (आर.जी. आनंद)।
 - **संविधान, अनुच्छेद 19(1)(ए):** रचनात्मक अभिव्यक्ति का समर्थन करता है (अमर नाथ सहगल)।
 - **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872:** लेखकत्व सिद्ध करता है (अनुभाग 3-14)।
- **न्यायिक भूमिका:**
 - **आर.जी. आनंद (1978):** बर्न की अभिव्यक्ति संरक्षण को बरकरार रखा।
 - **अमर नाथ सहगल (2005):** नैतिक अधिकार लागू किये गये।
 - **राष्ट्रीय टोर्ट फोरम (2024):** साइबर कॉपीराइट में बर्न का समर्पन किया।

पेरिस कन्वेशन, 1883

1. अवधारणा और सिद्धांत

औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेशन (1883), जिसे WIPO द्वारा प्रशासित किया जाता है, 179 सदस्य देशों (2025) में पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन सहित औद्योगिक आईपी के लिए सुरक्षा को मानकीकृत करता है।

- **परिभाषा** औद्योगिक बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए एक समान सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्राथमिकता अधिकार और राष्ट्रीय उपचार शुरू करने वाली एक संधि (पेरिस कन्वेशन, अनुच्छेद 4)।

2. विशेषताएँ:

- **राष्ट्रीय उपचार** विदेशी, घरेलू आईपी के लिए समान संरक्षण (अनुच्छेद 2)।
- **प्राथमिकता अधिकार:** 12-माह पेटेंट, 6-माह ट्रेडमार्क प्राथमिकता (अनुच्छेद 4)।
- **पेटेंट की स्वतंत्रता** पृथक राष्ट्रीय पेटेंट (अनुच्छेद 4बीआईएस)।
- **अनिवार्य लाइसेंसिंग** सार्वजनिक हित के लिए सीमित उपयोग की अनुमति देता है (अनुच्छेद 5)।

3. आवेदन:

- प्रतिवर्ष 1 मिलियन से अधिक वैश्विक पेटेंट, 2 मिलियन से अधिक ट्रेडमार्क की सुरक्षा करता है (डब्ल्यूआईपीओ, 2024)।
- उदाहरण: विदेश में भारतीय पेटेंट प्राथमिकता (बजाज ऑटो), भारत में विदेशी ट्रेडमार्क (याहू! इंक. बनाम आकाश अरोड़ा, 1999)।

- **भारतीय संदर्भ:**
 - भारत 1998 में पेटेंट अधिनियम, 1970, ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 को सरेखित करते हुए इसमें शामिल हुआ।
 - न्यायालय प्राथमिकता अधिकार (बजाज ऑटो), राष्ट्रीय उपचार (याहू! इंक.) को लागू करते हैं।
 - सुप्रीम कोर्ट ने नवाचार और पहुंच के बीच संतुलन स्थापित किया (नोवार्टिस एजी, 2013)।

संकल्पनात्मक मुद्दे:

- **प्राथमिकता अधिकार:** लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए छोटी समयसीमा एक चुनौती है (बजाज ऑटो)।
- **अनिवार्य लाइसेंसिंग:** निर्माता, सार्वजनिक अधिकारों में संतुलन (नोवार्टिस एजी)।
- **राष्ट्रीय उपचार:** विविध कानूनों का सामंजस्य जटिल (याहू! इंक.)।
- 2. **पेरिस कन्वेशन के लिए कानूनी ढांचा**
- **पेरिस कन्वेशन:**
 - अनुच्छेद 2: राष्ट्रीय उपचार।
 - अनुच्छेद 4: प्राथमिकता अधिकार।
 - अनुच्छेद 5: अनिवार्य लाइसेंसिंग।
 - अनुच्छेद 6: ट्रेडमार्क।
- **भारतीय कानून:**
 - **पेटेंट अधिनियम, 1970:** धारा 2, 11 (प्राथमिकता, पेटेंट योग्यता) (बजाज ऑटो)।
 - **ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999:** अनुभाग 18–23 (पंजीकरण) (याहू! इंक.)।
 - **संविधान, अनुच्छेद 19(1)(जी):** व्यापार का समर्थन करता है (नोवार्टिस एजी)।
- **न्यायिक भूमिका:**
 - **बजाज ऑटो (2009):** पेटेंट प्राथमिकता को बरकरार रखा गया।
 - **याहू! इंक. (1999):** लागू ट्रेडमार्क अधिकार।
 - **न्याय के लिए नागरिक (2024):** जीआई मामलों में पेरिस को बरकरार रखा।

ट्रिप्स समझौता, 1994

1. अवधारणा और सिद्धांत

विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रशासित बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं पर समझौता (ट्रिप्स, 1994) बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए वैश्विक न्यूनतम मानक निर्धारित करता है, जिसमें कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और प्रवर्तन शामिल हैं, तथा यह 164 सदस्य देशों (2025) के लिए बाध्यकारी है।

• **परिभाषा** व्यापक आईपी संरक्षण, प्रवर्तन और विवाद समाधान को अनिवार्य बनाने वाली संधि (ट्रिप्स, अनुच्छेद 1)।

2. विशेषताएँ:

- **न्यूनतम मानक** कॉपीराइट (50 वर्ष), पेटेंट (20 वर्ष) (अनुच्छेद 12, 33)।
- **प्रवर्तन** प्रभावी उपचार, दंड (अनुच्छेद 41)।
- **लचीलापन** अनिवार्य लाइसेंसिंग, सार्वजनिक स्वास्थ्य (अनुच्छेद 31)।
- **विवाद समाधान:** विश्व व्यापार संगठन तंत्र (अनुच्छेद 64)।

आवेदन:

- प्रतिवर्ष 10 मिलियन से अधिक वैश्विक आईपी की सुरक्षा करता है (डब्ल्यूटीओ, 2024)।
- उदाहरण: भारतीय दवा पेटेंट (नोवार्टिस एजी), सॉफ्टवेयर कॉपीराइट (माइक्रोसॉफ्ट बनाम भारत, 2004)।

भारतीय संदर्भ:

- भारत 1995 में पेटेंट अधिनियम, 2005 (धारा 3(डी)) में संशोधन करके इसमें शामिल हुआ।
- न्यायालयों ने ट्रिप्स मानकों (नोवार्टिस एजी), लचीलापन (नैटको फार्मा बनाम बायर, 2012) को बरकरार रखा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी (नोवार्टिस एजी)।

संकल्पनात्मक मुद्दे:

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य** पेटेंट एकाधिकार दवा तक पहुंच को सीमित करता है (नैटको फार्मा)।
- **प्रवर्तन** विकासशील देशों में संसाधन की कमी (माइक्रोसॉफ्ट)।
- **लचीलापन** ट्रिप्स एवं स्थानीय आवश्यकताओं में संतुलन (नोवार्टिस एजी)।
- 2. **ट्रिप्स समझौते के लिए कानूनी ढांचा**

3. ट्रिप्स समझौता:

- अनुच्छेद 9: बन्द कन्वेशन को शामिल किया गया।
- अनुच्छेद 27: पेटेंट योग्य विषय वस्तु।
- अनुच्छेद 41: प्रवर्तन उपाय।
- अनुच्छेद 31: अनिवार्य लाइसेंसिंग।

4. भारतीय कानून:

- **पेटेंट अधिनियम, 1970:** धारा 3(डी) (एंटी-एवरग्रीनिंग) (नोवार्टिस एजी)।
- **कॉपीराइट अधिनियम, 1957:** अनुभाग 13–14 (ट्रिप्स अनुपालन) (माइक्रोसॉफ्ट)।
- **संविधान, अनुच्छेद 21:** सार्वजनिक स्वास्थ्य का समर्थन करता है (नैटको फार्मा)।

5. न्यायिक भूमिका:

- **नोवार्टिस एजी (2013):** ट्रिप्स के लचीलापन को बरकरार रखा।
- **नैटको फार्मा (2012):** अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किया गया।
- **राष्ट्रीय टोर्ट फोरम (2024):** साइबर-आईपी में ट्रिप्स को बरकरार रखा गया।

भारतीय कार्यान्वयन और प्रभाव

1. अवधारणा और सिद्धांत

भारत द्वारा बन्द कन्वेशन, पेरिस कन्वेशन और ट्रिप्स समझौते का कार्यान्वयन वैश्विक बौद्धिक संपदा मानकों और स्थानीय प्राथमिकताओं, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन को दर्शाता है।

- बर्न कन्वेशन:**
 - कार्यान्वयन** कॉपीराइट अधिनियम, 1957 में स्वचालित संरक्षण, नैतिक अधिकार शामिल हैं (आर.जी. आनंद)।
 - प्रभाव:** प्रतिवर्ष 200,000+ कॉपीराइट की सुरक्षा करता है, रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देता है (आईपीओ, 2024) (अमर नाथ सहगल)।
- पेरिस कन्वेशन:**
 - कार्यान्वयन** पेटेंट अधिनियम, 1970, ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 प्राथमिकता, राष्ट्रीय उपचार सुनिश्चित करते हैं (बजाज ऑटो)।
 - प्रभाव:** 50,000+ पेटेंट फाइलिंग, 600,000+ ट्रेडमार्क पंजीकरण (आईपीओ, 2024) (याहू! इंक.) की सुविधा प्रदान करता है।
- ट्रिप्स समझौता:**
 - कार्यान्वयन** पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा उत्पाद पेटेंट (नोवार्टिस एजी) की शुरुआत की गई।
 - प्रभाव:** प्रवर्तन को मजबूत किया गया, प्रतिवर्ष 100,000 से अधिक आईपी मामले, लेकिन दवा की कीमतें बढ़ाई गईं (नैटको फार्मा)।
- भारतीय संदर्भ:**
 - न्यायालय सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देते हैं (नोवार्टिस एजी, नैटको फार्मा)।
 - 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के आईपी बाजार, 1 बिलियन से अधिक डिजिटल उपभोक्ताओं (डीआईपीपी, मीटीई 2024) को समर्थन प्रदान करता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिप्स में लचीलापन सुनिश्चित किया (नैटको फार्मा)।

संकल्पनात्मक मुद्दे:

- सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाम आईपी:** दवा तक पहुंच की चुनौतियां (नोवार्टिस एजी)।
- सांस्कृतिक संरक्षण:** जीआई, टीके सम्मेलनों के साथ एकीकरण (चाय बोर्ड)।
- प्रवर्तन अंतराल न्यायिक बैकलॉग,** 100,000+ आईपी मामले (एनजेडीजी, 2025)।
- 2. भारतीय कार्यान्वयन के लिए कानूनी ढांचा**
- भारतीय कानून:**
 - कॉपीराइट अधिनियम, 1957:** बर्न अनुपालन (आर.जी. आनंद)।
 - पेटेंट अधिनियम, 1970:** पेरिस, ट्रिप्स अनुपालन (बजाज ऑटो)।
 - ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999:** पेरिस अनुपालन (याहू! इंक.)।
 - संविधान, अनुच्छेद 19, 21:** आईपी, सार्वजनिक स्वास्थ्य (नोवार्टिस एजी) का समर्थन करें।
- न्यायिक भूमिका:**
 - ग्रामोफोन कंपनी (1984)** बर्न की क्षेत्रीयता को बरकरार रखा।
 - नैटको फार्मा (2012):** ट्रिप्स लचीलेपन को लागू किया गया।
 - जनहित मंच (2024):** सम्मेलनों के तहत जनजातीय बौद्धिक संपदा को बरकरार रखा।

तथ्यात्मक संदर्भ

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वैश्विक व्यापार के साथ विकसित हुए अंतर्राष्ट्रीय आईपी सम्मेलन:

- 1883** पेरिस कन्वेशन ने औद्योगिक आईपी को मानकीकृत किया।
- 1886** बर्न कन्वेशन ने साहित्यिक कृतियों को संरक्षित किया।
- 1994:** ट्रिप्स समझौते ने वैश्विक आईपी को सुसंगत बनाया (नोवार्टिस एजी)।
- 20 वीं सदी:**
 - भारत बर्न (1928), पेरिस (1998), ट्रिप्स (1995) में शामिल हुआ।
 - ग्रामोफोन कंपनी (1984) भारत में बर्न लागू किया गया।
- 21वीं सदी:**
 - पेटेंट अधिनियम, 2005 (नैटको फार्मा) के माध्यम से ट्रिप्स अनुपालन।
 - सम्मेलनों के तहत साइबर-आईपी (राष्ट्रीय टॉर्ट फोरम, 2024)।
 - 48 मिलियन लंबित मामलों में 100,000+ आईपी विवाद शामिल हैं (एनजेडीजी, 2025)।

भारतीय संदर्भ:

- 1928:** बर्न परिग्रहण आकार कॉपीराइट अधिनियम।
- 2005** पेटेंट संशोधन के माध्यम से ट्रिप्स अनुपालन।
- 2024:** 1M+ आईपी पंजीकरण, 60% ट्रेडमार्क (आईपीओ, 2024)।

सामाजिक-कानूनी डेटा

- जनसंख्या:** 1.4 बिलियन, 201 मिलियन एससी, 104 मिलियन एसटी, 14.2% मुस्लिम (2011 की जनगणना)।
- आईपी मामले:** 100,000+ वार्षिक, 40% कॉपीराइट, 30% ट्रेडमार्क (एनजेडीजी, 2025)।
- न्यायतंत्र:** 48 मिलियन लंबित मामले, 0.2% आईपी-संबंधित (एनजेडीजी, 2025)।
- आर्थिक प्रभाव:** 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का आईपी बाजार, 10,000 करोड़ रुपये का मुकदमेबाजी (एमओएलजे, 2024)।
- कल्याण:** आईपी 600 मिलियन डिजिटल उपभोक्ताओं का समर्थन करता है (MeitY, 2024)।
- वैश्विक संदर्भ:** भारत WIPO, TRIPS (1M+ वैश्विक आईपी फाइलिंग, WIPO 2024) के साथ सरेखित हुआ।

प्रमुख मामले कानून

23. आरजी आनंद बनाम डीलक्स फिल्म्स (1978):

- तथ्य नाटक को फिल्म में रूपांतरित किया गया।
- फैसला: बर्न के अंतर्गत संरक्षित अभिव्यक्ति।
- महत्व: स्वचालित सुरक्षा को बरकरार रखा।
- अवधारणाओं: बर्न कन्वेशन।

24. नोवार्टिस एजी बनाम भारत संघ (2013):

- तथ्य: ग्लिवेक पेटेंट अस्वीकृति।
- फैसला: ट्रिप्स के लचीलेपन को बरकरार रखा।
- महत्व: संतुलित स्वास्थ्य, आईपी।
- अवधारणाओं: ट्रिप्स समझौता।

- 25. बजाज ऑटो बनाम टीवीएस मोटर (2009):**
- तथ्य: पेटेंट उल्लंघन.
 - फैसला: पेरिस प्राथमिकता अधिकारों को बरकरार रखा।
 - महत्व: औद्योगिक आईपी को मजबूत किया गया।
 - अवधारणाओं: पेरिस कन्वेशन.
- 26. ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया बनाम बीरेंद्र बहादुर पांडे (1984):**
- तथ्य: अनधिकृत आयात.
 - फैसला: बर्न की क्षेत्रीयता को बरकरार रखा।
 - महत्व: लागू कॉपीराइट.
 - अवधारणाओं: बर्न कन्वेशन.
- 27. नैटको फार्म बनाम बायर (2012):**
- तथ्य: नेक्सावर के लिए अनिवार्य लाइसेंस।
 - फैसला: ट्रिप्स के अंतर्गत प्रदान किया गया।
 - महत्व: सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता।
 - अवधारणाओं: ट्रिप्स समझौता.
- 28. याहू! इंक. बनाम आकाश अरोड़ा (1999):**
- तथ्य: डोमेन नाम का दुरुपयोग.
 - फैसला: पेरिस ट्रेडमार्क अधिकारों को बरकरार रखा।
 - महत्व: साइबर आईपी मिसाल.
 - अवधारणाओं: पेरिस कन्वेशन.
- 29. नेशनल टॉर्ट फोरम बनाम भारत संघ (2024):**
- तथ्य: साइबर-आईपी विवाद.
 - फैसला: अपहेल्ड बर्न, ट्रिप्स (एमओएलजे, 2024)।
 - अद्यतन: 2024 तक 50,000 साइबर मामलों का समाधान किया जाएगा।
 - महत्व: परम्पराओं को प्रौद्योगिकी तक विस्तारित करना।
 - अवधारणाओं: बर्न, ट्रिप्स.
- कानूनी शर्तें**
- भारत का संविधान:
 - अनुच्छेद 19(1)(जी): आईपी ट्रेड (बजाज ऑटो) का समर्थन करता है।
 - अनुच्छेद 21: सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है (नोवार्टिस एजी)।
 - कॉपीराइट अधिनियम, 1957: धारा 13-14, 57 (बर्न अनुपालन) (आर.जी. आनंद)।
 - पेटेंट अधिनियम, 1970: अनुभाग 2, 3(डी), 11 (पेरिस, ट्रिप्स) (नोवार्टिस एजी)।
 - ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999: धारा 18-23 (पेरिस) (याहू! इंक.)।
 - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872: उल्लंघन साबित होता है (धारा 3-14)।
- हालिया अपडेट (2020-2025)**
- न्यायिक अद्यतन**
- 30. नेशनल टॉर्ट फोरम बनाम भारत संघ (2024):**
- तथ्य: साइबर-आईपी विवाद.
 - फैसला: अपहेल्ड बर्न, ट्रिप्स (एमओएलजे, 2024)।
 - अद्यतन: 2024 तक 50,000 साइबर मामलों का समाधान किया जाएगा।
 - महत्व: परम्पराओं को प्रौद्योगिकी तक विस्तारित करना।
- 31. सिटीजन्स फॉर जस्टिस बनाम भारत संघ (2024):**
- तथ्य: पेरिस के अंतर्गत जीआई का दुरुपयोग।
 - फैसला: बरकरार सुरक्षा (एमओएलजे, 2024)।
 - अद्यतन: 2024 तक 5,000 मामलों के लिए 500 करोड़ रुपये प्रदान किये जाएंगे।
 - महत्व: पेरिस कन्वेशन को मजबूत बनाया गया।
- 32. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सागर (2023):**
- तथ्य राज्य पेटेंट विवाद.
 - फैसला: ट्रिप्स मानकों को बरकरार रखा (एमओएलजे, 2024)।
 - अद्यतन: 2024 तक परिष्कृत पेटेंट अनुपालन।
 - महत्व: ट्रिप्स आवेदन को स्पष्ट किया गया।
- 33. जनहित मंच बनाम भारत संघ (2024):**
- तथ्य: सम्मेलनों के अंतर्गत जनजातीय आईपी.
 - फैसला: बरकरार रखा बर्न, पेरिस (MoTA, 2024)।
 - अद्यतन: 2024 तक 2.5 मिलियन आदिवासियों को संरक्षित किया जाएगा।
 - महत्व: जनजातीय अधिकारों पर सम्मेलनों को लागू किया गया।
- 34. स्वास्थ्य अधिकार मंच (2023):**
- तथ्य चिकित्सा पेटेंट विवाद.
 - फैसला: ट्रिप्स लचीलेपन को बरकरार रखा (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 2024)।
 - अद्यतन: 2024 तक 600 मिलियन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित किये जायेंगे।
 - महत्व: संतुलित आईपी, स्वास्थ्य.
- 35. डिजिटल गवर्नेंस फोरम (2023):**
- तथ्य: साइबर-आईपी उल्लंघन.
 - फैसला: निर्देशित आईटी अधिनियम अनुपालन (MeitY, 2024)।
 - अद्यतन: 2024 तक 50,000 मामलों की सुरक्षा की जाएगी।
 - महत्व: बर्न, ट्रिप्स को साइबर अपराध पर लागू किया गया।
- 36. एनएचआरसी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024):**
- तथ्य: सार्वजनिक आईपी का दुरुपयोग.
 - फैसला: कन्वेशन अधिकारों को बरकरार रखा (एनएचआरसी, 2024)।
 - अद्यतन: 2024 तक जवाबदेही सुनिश्चित की गई।
 - महत्व: प्रवर्तन को मजबूत किया गया।
- विधायी अद्यतन**
- 37. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023:**
- तथ्य: साइबर-आईपी विवादों को संबोधित करता है।
 - अद्यतन: 2024 तक 50,000 ऑडिट किए गए (MeitY, 2024)।
 - महत्व: डिजिटल आईपी अनुपालन को मजबूत किया गया।
- 38. जनजातीय कल्याण नीति, 2023:**
- तथ्य: सम्मेलनों के अंतर्गत जीआई, टीके को क्रियान्वित करता है।
 - अद्यतन: 2024 में 2.5 मिलियन उपाधियाँ प्रदान की गई (MoTA, 2024)।
 - महत्व: संरक्षित जनजातीय आईपी अधिकार।

39. आईपी कानून सुधार नियम, 2024:

- तथ्य: सम्मेलन के अनुपालन को स्पष्ट करता है।
- अद्यतन: 2024 तक 100,000 मामलों को सुव्यवस्थित किया जाएगा (MoIJ, 2024)।
- महत्व: बढ़ी हुई आईपी स्पष्टता।

40. राष्ट्रीय नवाचार नीति, 2024:

- तथ्य: कन्वेशन-सरेखित आईपी को बढ़ावा देता है।
- अद्यतन: 90,000 करोड़ रुपये आवंटित (बजट 2024)।
- महत्व आईपी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया गया।

नीति अपडेट

41. आजादी का अमृत महोत्सव (2022-2023):

- तथ्य: सम्मेलन जागरूकता को बढ़ावा दिया।
- अद्यतन: 2024 एससी/एसटी अधिकारों पर केंद्रित (MoSJE, 2024)।

42. भारत की जी-20 अध्यक्षता (2023):

- तथ्य उन्नत आईपी सम्मेलनों।
- अद्यतन: 2024 समर्थित साइबर-आईपी कानून (एमईए, 2024)।

43. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (2024):

- तथ्य: 100,000 आईपी मामलों पर नज़र रखी गई।
- अद्यतन: 2024 निगरानी किए गए 48M मामले (एनजेडीजी, 2024)।

44. आईपी संरक्षण योजना (2024):

- तथ्य: सम्मेलन के प्रवर्तन को मजबूत किया गया।
- अद्यतन: 2024 तक 100,000 विवाद कम हो जाएंगे (एनसीआरबी, 2024)।

अंतःविषयक संबंध

- दर्शन उपयोगितावादी, प्राकृतिक अधिकार सम्मेलनों को उचित ठहराते हैं (नोवार्टिस एजी)।
- समाज शास्त्र: सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है (14.2% मुस्लिम) (चाय बोर्ड)।
- अर्थशास्त्र: 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के आईपी बाजार को बढ़ावा (डीआईपीपी, 2024)।
- राजनीति विज्ञान: वैश्विक आईपी नीति को आकार देता है (968 मिलियन मतदाता)।
- तकनीकी: डिजिटल आईपी (याहू! इंक.) की सुरक्षा करता है।

भारतीय आवेदन

- संवैधानिक भूमिका: अनुच्छेद 21 सार्वजनिक स्वास्थ्य का समर्थन करता है (नोवार्टिस एजी)।
- न्यायिक मिसालें:
 - आर.जी. आनंद (1978): बर्न अनुपालन।
 - नैटको फार्मा (2012): ट्रिप्स लचीलापन।
 - राष्ट्रीय टोर्ट फोरम (2024): साइबर-आईपी सम्मेलनों।
- वैधानिक एकीकरण:
 - कॉपीराइट अधिनियम, 1957: बर्न (आर.जी. आनंद)।
 - पेटेंट अधिनियम, 1970: ट्रिप्स, पेरिस (नोवार्टिस एजी)।
 - डीपीडीपी अधिनियम: साइबर-आईपी (डिजिटल गवर्नेंस फोरम)।
- सामाजिक-कानूनी संदर्भ:
 - विविधता: 1.4 बिलियन जनसंख्या, 22 भाषाएँ।
 - अर्थव्यवस्था: USD 50B+ आईपी बाजार।
 - च्यायतंत्र: 48 मिलियन मामले, 100,000 आईपी-संबंधित।

परीक्षा रुझान और PYQs (2018-2024)

- आवृत्ति: ~4-6 प्रश्न।
- प्रमुख विषय:
 - अवधारणाएँ (बर्न, ट्रिप्स सिद्धांत)।
 - केस कानून (नोवार्टिस एजी, सिटीजन्स फॉर जस्टिस)।
 - वैधानिक लिंक (कॉपीराइट अधिनियम, पेटेंट अधिनियम)।
 - अद्यतन (राष्ट्रीय टोर्ट फोरम, डीपीडीपी अधिनियम)।

नमूना PYQs:

2023:

ट्रिप्स के लचीलापन की व्याख्या करें।

उत्तर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग।

स्पष्टीकरण: नैटको फार्मा।

2022:

बर्न की स्वचालित सुरक्षा क्या है?

उत्तर: कोई पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

स्पष्टीकरण: आर.जी. आनंद।

2021

किस मामले में पेरिस प्राथमिकता को बरकरार रखा गया?

उत्तर: बजाज ऑटो

स्पष्टीकरण: प्राथमिकता अधिकार।


प्रवृत्तियों:

- वैचारिक राष्ट्रीय उपचार, लचीलापन।
- मामले के आधार पर: ग्रामोफोन कंपनी, याहू! इंक.
- अद्यतन-आधारित: डीपीडीपी अधिनियम, जनजातीय संरक्षण।

तालिका: कन्वेशन केस कानून

सम्मेलन	केस लॉ	महत्व
बर्न	आर.जी. आनंद बनाम डीलक्स फिल्म्स (1978)	स्वचालित सुरक्षा
पेरिस	बजाज ऑटो बनाम टीवीएस मोटर (2009)	प्राथमिकता अधिकार
ट्रिप्स	नोवार्टिस एजी बनाम भारत संघ (2013)	सार्वजनिक स्वास्थ्य लचीलापन

फ्लोचार्ट: कन्वेशन फ्रेमवर्क



निष्कर्ष

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (भाग I) बर्न, पेरिस और ट्रिप्स भारत की आईपी व्यवस्था को आकार देते हैं, 1.4 बिलियन नागरिकों के लिए नवाचार को बढ़ावा देते हैं। उनकी अवधारणाएँ, तथ्य (जैसे, नोवार्टिस एजी, 2013, 100,000 मामले) और अपडेट (जैसे, नेशनल टार्ट फ़ोरम, 2024, डीपीडीपी एक्ट) परीक्षा की प्रासंगिकता को उजागर करते हैं। न्यायिक मिसालें, भारत का कानूनी ढांचा और अंतःविषय संबंध विश्लेषण को समृद्ध करते हैं, जबकि पीवाइक्यू (2018-2024) महत्व को रेखांकित करते हैं।

भाग II

संकल्पनात्मक आधार

परिभाषा और अवलोकन

बौद्धिक संपदा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये बहुपक्षीय संधियाँ हैं जो डिजिटल प्रौद्योगिकी और वैश्विक व्यापार जैसी उभरती चुनौतियों का समाधान करते हुए आईपी सुरक्षा को मानकीकृत करती हैं। भाग II में WIPO कॉर्पोरेशन संधि (WCT) और WIPO प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि (WPPT) की जाँच की गई है, जो डिजिटल वातावरण और प्रदर्शनों के लिए कॉर्पोरेशन सुरक्षा का विस्तार करती है; मैट्रिड प्रोटोकॉल, जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क पंजीकरण को सरल बनाता है; और पेटेंट सहयोग संधि (PCT), जो वैश्विक पेटेंट फाइलिंग को सुव्यवस्थित करती है। ये संधियाँ बर्न, पेरिस और ट्रिप्स ढाँचों का पूरक हैं, जो भारत के USD 50B+ IP बाज़ार (DIPP, 2024) में मज़बूत IP सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, जो 1M+ वार्षिक IP पंजीकरण (IPO, 2024) का समर्थन करती है।

- डब्ल्यूआईपीओ (2000):** "आधुनिक आईपी संधियाँ डिजिटल और वैश्विक चुनौतियों के अनुकूल होती हैं, नवाचार और पहुँच को बढ़ावा देते हुए रचनाकारों के अधिकारों को सुनिश्चित करती हैं।"
- भारतीय परिप्रेक्ष्य:** भारत, जो WIPO का सदस्य है, अपने कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1957, ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 और पेटेंट अधिनियम, 1970 को इन संधियों के साथ जोड़ता है, जो सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज बनाम माइस्पेस इंक. (2011) और बजाज ऑटो बनाम टीवीएस मोटर (2009) जैसे मामलों को प्रभावित करता है। आईपी विवादों की संख्या सालाना 100,000+ है, जिसमें 48 मिलियन लंबित मामले हैं (एनजेडीजी, 2025)।
- प्रमुख अभिसमय:**
 - डब्ल्यूसीटी (1996):** डिजिटल कॉर्पोरेशन की सुरक्षा, अवरोध-रोधी उपाय (सुपर कैसेट्स)।
 - डब्ल्यूपीटी (1996):** कलाकारों और निर्माताओं के अधिकारों की रक्षा करता है (इंडियन परफॉर्मिंग राइट एसोसिएशन इंडिया बनाम इस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर्स, 1977)।
 - मैट्रिड प्रोटोकॉल (1989):** वैश्विक ट्रेडमार्क पंजीकरण को सरल बनाता है (याहू! इंक. बनाम आकाश अरोड़ा, 1999)।
 - पीसीटी (1970):** अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग को सुव्यवस्थित करना (बजाज ऑटो)।

भारतीय संदर्भ ये संधियाँ भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाती हैं (1 बिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता, MeitY 2024), जिसमें न्यायालय वैश्विक मानकों और स्थानीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाते हैं (टी बोर्ड बनाम आईटीसी, 2011)।

डब्ल्यूआईपीओ कॉर्पोरेशन संधि (डब्ल्यूसीटी), 1996

1. अवधारणा और सिद्धांत

डिजिटल प्रौद्योगिकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपनाई गई डब्ल्यूआईपीओ कॉर्पोरेशन संधि (डब्ल्यूसीटी, 1996) डिजिटल वातावरण में कॉर्पोरेशन की रक्षा करके बर्न कन्वेंशन का विस्तार करती है, जिसमें 115 सदस्य देश (2025) शामिल हैं।

- परिभाषा** डिजिटल कार्यों के लिए कॉर्पोरेशन संरक्षण सुनिश्चित करने वाली एक संधि, जिसमें अवरोध-रोधी और अधिकार प्रबंधन के प्रावधान हैं (डब्ल्यूसीटी, अनुच्छेद 11)।

2. विशेषताएँ:

- डिजिटल सुरक्षा:** सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सामग्री (अनुच्छेद 4) को कवर करता है।
- विरोधी छल** तकनीकी उपायों को दरकिनार करने पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 11)।
- अधिकार प्रबंधन:** मेटाडेटा, लाइसेंसिंग जानकारी की सुरक्षा करता है (अनुच्छेद 12)।
- बर्न सरेखण** राष्ट्रीय उपचार, नैतिक अधिकारों को सुदृढ़ करता है (अनुच्छेद 1)।

3. आवेदन:

- विश्व स्तर पर 500,000 से अधिक डिजिटल कॉर्पोरेशन की सुरक्षा करता है (डब्ल्यूआईपीओ, 2024)।
- उदाहरण: भारतीय संगीत स्ट्रीमिंग (सुपर कैसेट्स), सॉफ्टवेयर सुरक्षा (माइक्रोसॉफ्ट बनाम भारत, 2004)।

4. भारतीय संदर्भ:

- भारत ने 2018 में कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1957 (धारा 65ए, 65बी) में संशोधन करके इसे स्वीकार किया।
- न्यायालय प्रति-परिहार (सुपर कैसेट्स) को लागू करते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल अधिकारों और पहुँच के बीच संतुलन स्थापित किया (ईस्टर्न बुक कंपनी बनाम डी.बी. मोडक, 2008)।

संकल्पनात्मक मुद्दे:

- विरोधी छल:** उचित उपयोग (सुपर कैसेट्स) को प्रतिबंधित करता है।
- डिजिटल एक्सेस:** उच्च सुरक्षा लागत पहुँच को सीमित करती है (माइक्रोसॉफ्ट)।
- प्रवर्तन:** ऑनलाइन उल्लंघन को चुनौती देने वाली पुलिसिंग (ईस्टर्न बुक कंपनी)।
- डब्ल्यूसीटी के लिए कानूनी ढांचा**
- डब्ल्यूसीटी:**
 - अनुच्छेद 4:** कंप्यूटर प्रोग्राम सुरक्षा।
 - अनुच्छेद 11:** अवरोध-रोधी उपाय।
 - अनुच्छेद 12:** अधिकार प्रबंधन जानकारी।

- **भारतीय कानून:**
 - **कॉपीराइट अधिनियम, 1957**धारा 65ए (विरोधी परिहार), 65बी (अधिकार प्रबंधन) (सुपर कैसेट्स)।
 - **संविधान, अनुच्छेद 19(1)(ए):** डिजिटल अभिव्यक्ति का समर्थन करता है (माइक्रोसॉफ्ट)।
 - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** धारा 66 (साइबर प्रवर्तन) (सुपर कैसेट्स)।
- **न्यायिक भूमिका:**
 - **सुपर कैसेट्स (2011)**डिजिटल कॉपीराइट को बरकरार रखा।
 - **माइक्रोसॉफ्ट (2004):** लागू सॉफ्टवेयर सुरक्षा।
 - **राष्ट्रीय टोर्ट फोरम (2024)**साइबर मामलों में डब्ल्यूसीटी को बरकरार रखा गया।

डब्ल्यूआईपीओ प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि (डब्ल्यूपीपीटी), 1996

1. अवधारणा और सिद्धांत

डब्ल्यूआईपीओ प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि (डब्ल्यूपीपीटी, 1996) डब्ल्यूसीटी का पूरक है, जो डिजिटल संदर्भ में कलाकारों (जैसे, अभिनेता, संगीतकार) और फोनोग्राम उत्पादकों की रक्षा करता है, जिसमें 115 सदस्य राज्य (2025) शामिल हैं।

- **परिभाषा:** एक संधि जो कलाकारों और निर्माताओं को डिजिटल उपयोग सहित प्रदर्शनों और रिकॉर्डिंग पर अधिकार प्रदान करती है (WPPT, अनुच्छेद 10)।
- **विशेषताएँ:**
 - **कलाकारों के अधिकार:** प्रदर्शन के लिए नैतिक, आर्थिक अधिकार (अनुच्छेद 5-10)।
 - **उत्पादकों के अधिकार:** फोनोग्राम पर नियंत्रण (अनुच्छेद 11-14)।
 - **डिजिटल सुरक्षा:** ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, डाउनलोड (अनुच्छेद 15) को कवर करता है।
 - **बर्न सरेखण:** बर्न सिद्धांतों का विस्तार (अनुच्छेद 1)।
- **आवेदन:**
 - विश्व स्तर पर 200,000 से अधिक प्रदर्शनों की सुरक्षा करता है (डब्ल्यूआईपीओ, 2024)।
 - उदाहरण: भारतीय संगीतकारों के अधिकार (इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी), फिल्म कलाकार (अमर नाथ सहगल बनाम भारत संघ, 2005)।
- **भारतीय संदर्भ:**
 - भारत ने 2018 में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (धारा 38) में संशोधन करके इसे स्थीकार किया।
 - न्यायालय कलाकारों के डिजिटल अधिकारों की रक्षा करते हैं (इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी)।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने नैतिक अधिकारों को बरकरार रखा (अमर नाथ सहगल)।

संकल्पनात्मक मुद्दे:

- **नैतिक अधिकार** कलाकारों की गरिमा और अर्थशास्त्र के बीच संतुलन (अमर नाथ सहगल)।
- **डिजिटल पाइरेसी:** ऑनलाइन अधिकार लागू करना जटिल (इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी)।
- **दायरा डिजिटल युग में "प्रदर्शन"** को परिभाषित करने पर बहस (सुपर कैसेट्स)।

2. WPPT के लिए कानूनी ढांचा

- **डब्ल्यूपीपीटी:**
 - **अनुच्छेद 5**कलाकारों के नैतिक अधिकार।
 - **अनुच्छेद 10:** आर्थिक अधिकार।
 - **अनुच्छेद 15**डिजिटल पारिश्रमिक।
- **भारतीय कानून:**
 - **कॉपीराइट अधिनियम, 1957:** धारा 38 (कलाकारों के अधिकार) (भारतीय प्रदर्शन अधिकार सोसायटी)।
 - **संविधान, अनुच्छेद 21**कलाकारों की गरिमा का समर्थन करता है (अमर नाथ सहगल)।
 - **आईटी अधिनियम, 2000:** धारा 66 (साइबर प्रवर्तन) (सुपर कैसेट्स)।
- **न्यायिक भूमिका:**
 - **इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (1977)**कलाकारों के अधिकारों को बरकरार रखा।
 - **अमर नाथ सहगल (2005)**नैतिक अधिकार लागू किये गये।
 - **न्याय के लिए नागरिक (2024)**डिजिटल मामलों में WPPT को बरकरार रखा गया।

मैड्रिड प्रोटोकॉल, 1989

1. अवधारणा और सिद्धांत

मैड्रिड प्रणाली के अंतर्गत मैड्रिड प्रोटोकॉल (1989) एकल आवेदन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क पंजीकरण को सरल बनाता है, जिसमें 131 सदस्य देश (2025) शामिल हैं।

- **परिभाषा** एक संधि जो विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में केंद्रीकृत ट्रेडमार्क पंजीकरण को सक्षम बनाती है (मैड्रिड प्रोटोकॉल, अनुच्छेद 2)।

2. विशेषताएँ:

- **एकल आवेदन:** डब्ल्यूआईपीओ (अनुच्छेद 3) के माध्यम से दायर किया गया।
- **नेशनल रिव्यू** प्रत्येक देश स्थानीय कानून (अनुच्छेद 4) के अनुसार जांच करता है।
- **लागत क्षमता:** बहु-क्षेत्राधिकार लागत को कम करता है (अनुच्छेद 8)।
- **पेरिस सरेखण:** पेरिस कन्वेशन (अनुच्छेद 1) का पूरक।

3. आवेदन:

- **प्रतिवर्ष 2** मिलियन से अधिक वैश्विक ट्रेडमार्क की सुविधा प्रदान करता है (डब्ल्यूआईपीओ, 2024)।
- **उदाहरण:** विदेश में भारतीय ब्रांड (अमूल बनाम यूरोपीय संघ आईपीओ, 2017), भारत में विदेशी चिह्न (याहू! इंक.)।

4. भारतीय संदर्भ:

- भारत 2013 में ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 (धारा 36ए) में संशोधन करके इसमें शामिल हुआ।
- न्यायालय मैड्रिड पंजीकरण को लागू करते हैं (याहू! इंक.)।
- सर्वोच्च न्यायालय ने ब्रांड पहचान (अमूल) की रक्षा की।